वर्ष-8 अंक-9 सितम्बर 2018 मूल्य 15

लोक जागृति

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन

अजर अमर अटल

मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं ?

आप बहुत याद आओगे

अयोध्या की पावन धरती पर जन्में महेंद्र कुमार पाण्डेय बचपन से ही मुखर व बौद्धिक क्षमता के धनी थे पिता की मृत्यु के पश्चात अपने तीन भाईयों व दो बहनों व माता के साथ अपने आप को सम्भालते हुए जीवन को आगे बढ़ाया व फैजाबाद के जाने माने फौजदारी के अधिवक्ता रहे। गरीबों व असहायों की सदैव मदद करते रहे। वे लोक जागृति पत्रिका के उप संपादक व लखनऊ हाईकोर्ट के स्टैंडिंग काउंसिल रहे। उनका सम्पूर्ण जीवन गरीबों व असहायों हेतु संघर्ष में बीता। वे सदैव उनके लिए खड़े रहे। श्री नारायण दास खत्री जी के सान्निध्य में रह कर व लोक जागृति एनजीओ के द्वारा अनेकों जनोपयोगी कार्यों को किया। इनकी मृत्यु से लोक जागृति को एक अपूर्णनीय क्षति हुई है लोक जागृति के वे संरक्षक थे व समय–समय पर दिशा निर्देशन का कार्य करते थे।

लोक जागृति की 20 सूत्रीय मांग

1– बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
2– सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
3– आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
4– पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
5– अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
6– एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
7– भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
8– शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो।
9– सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
10– सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
11– लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
12– बड़े नोट 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
13– हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओ के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
14– भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केस दर्ज कराने एवं करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही ।
15– समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
16– देश के प्राकृतिक संसाधनो पर सरकार का अधिकार होना चाहिए।
17– सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
18– कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लाल फीता शाही खत्म करना।
19– गरीबों की सही पहचान और लोगों को रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बनाना।
20– टोल टैक्स समाप्त करना।

हमारा निस्वार्थ प्रयास

लोक जागृति की स्थापना स्वामी नारायण जी के विचारों से प्रेरित होकर की गई है। योगी, त्यागी, सन्यासी महापुरूष लोक की जागृति के लिए संन्यास लेते हैं जिनमें स्वामी नारायण जी एक प्रमुख नाम है। स्वामी जी ने मानवतावादी धर्म के प्रसार–प्रचार के लिए विश्व भर में प्रयत्न किया और उनके प्रयास सफल रहे। वे वसुधैव कुटुम्बकम् की वैदीय परम्परा के प्रसारक योगी रहे। उनके धर्म–कर्म, मानवता के प्रसारक शिक्षा केन्द्र अक्षरधाम के नाम से पूरे विश्व में जगह जगह स्थापित हुए। उन्हीं सैंकड़ों मंदिरों में से एक, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है स्वामी नारायण जी ने जिला गोंडा के छपिया में जन्म लिया था। लोकजागृति संस्था से जुड़े हम अधिकांश सदस्य उन्हीं के क्षेत्र में अपना बालकाल और छात्रजीवन जिये और उनके बारे में सुनते पढ़ते रहे। कुछ सामर्थ्य मिलने पर उनके पगचिह्नों पर चलकर यथा संभव मानवतावादी, जनहितैषी काम करने की इच्छा थी जिसके प्रयोग और प्रयास में कुछ सुधी, पाठकों, विज्ञ जनों के साथ मिलकर सन् 2010 में लोकजागृति की स्थापना की। अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार हम सभी सदस्य इस गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के जरिये जनहितैषी प्रयास करते हैं और आम आदमी के सामाजिक, कानूनी मुद्दों से जुड़ी बातें प्रकाशित करते हैं।

प्रकाशित पत्रिका गाँव के ग्राम प्रधानों, जरूरतमंदों और समदर्शी विचारों से जुड़े सुधी जनों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। सदस्य ही नहीं, लेखक, पत्रकार संस्था को निःशुल्क, अवैतनिक सेवा देते हैं। जनहित वाले कई आलेख हम साभार अन्य प्रकाशनों से उद्धृत करने की गुस्ताखी भी करते हैं।लोकजागृति संस्था भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–ए एवं 80–जी के तहत मान्यता प्राप्त है। इससे संस्था एन.जी.ओ. प्रमाणित होने के साथ ही सुधी, संवेदनशील लोगों से संस्था को प्रदत्त दान, से उन दाताओं को आयकर में 50 फीसदी राशि की छूट मिला करती हैं ।

हम दावा नहीं कर सकते कि अपने प्रयत्नों से बहुत कुछ बदल देंगे मगर छोटे–छोटे प्रयासों से समाज के अंतर्मन में रचनात्मकता बने रहती है, जिसके लिए सभी को यत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता इसकी गवाह है। कायाकल्प कर देने या फिजा ही बदल देने के दावे या तो राजनैतिक लोग करते हैं या बड़बोले। हम स्वामी नारायण जी एवं युगों से दुनिया में अवतरित हुए ऐसे ही महापुरुषों की तरह उनके पगचिह्नों पर चलने का बहुत विनम्रता से सिर्फ तनिक प्रयास मात्र करते हैं। 'नामुक्तः क्षीयते कर्मः कल्प कोटि शतैरपि' की अवधारण से हमें ऐसे कर्मों में जुटने की ताकत मिलती है। ईश्वर दया करें कि हम भी शूक्ष्म सहयोग इस आदि अनंत मानव श्रृंखला, जीव जन्तु एवं पर्यावरण के हित में कर पाऐं। संस्था के इस पारदर्शी मिशन से किसी भी तरह के सहयोग के लिए जाति धर्म से ऊपर, जो समविचार महानुभाव जुड़ना चाहते हों, उनका सहृदय स्वागत है।

लोक जागृति फोन: 9560522777; website: www.lokjagriti.com

Suresh Pandey 9810514888

INDIAN/ FOREIGN BOOKS, JOURNALS,
NEW/OLD LAW BOKS,
BACK VOLUMES & SUBSCRIPTIONS SUPPLIER

SK

SK ACADEMIC PUBLISHING PVT. LTD.

E-252/4, West Vinod Nagar, Delhi - 110092
E- mail: suresh66pandey@gmail.com
pandeysureshk@gmail.com

आवश्यकता है

देशभर में संवाददाताओं, विज्ञापन दाताओं की हर खबर और तस्वीर का उचित मूल्य

संपर्क करें

लोक जागृति पत्रिका

95 ए, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. 201010
lokjagriti@gmail.com, 9560522777

www.lokjagriti.com

अटल दर्शन

अटल यात्रा

लोक जागृति पत्रिका

सितम्बर 2018 वर्ष 8 अंक 9

संरक्षक

पं। दयानंद शुक्ला

कपिल सिंघल

संपादक

संतोष कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक

नीरज बंसल

समाचार संपादक

आलोक सोलंकी

बृजमोहन

संपादकीय सहयोगी

सुरेश पाण्डेय

विजय बहादुर सिंह

तेज सिंह यादव (एडवोकेट)

नरेन्द्र कुमार सक्सेना

गिरीश त्रिपाठी

एस।बी।एस। गौतम

सत्येंद्र श्रीवास्तव

अश्विनी मिश्रा (एडवोकेट)

राहुल मिश्र

जगजीत सिंह

कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)

राजेश कुमार मिश्र

कमल कांत त्रिपाठी (एडवोकेट)

तरुण गुप्ता (एडवोकेट)

पूनम सिंह (एडवोकेट)

शोभा चौधरी

अनिल कुमार शुक्ला

रजनीश कुमार पाण्डेय

धीरज पाण्डेय

प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

मार्केटिंग

संजय मिश्रा

कानूनी सलाहकार

अभिषेक शर्मा

साज सज्जा

A.N.R. Creation

7827449997

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक

संतोष कुमार मिश्रा

द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

हम अपने बच्चों को किसको आदर्श बताएं यह समझे के परे हैं। जब हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व में कोई पप्पू है और कोई जुमलेबाज कहां पर आदर्श खोजा जाए। सभी नोट एवं वोट की राजनीति करते हैं। हमारी कई लोगों सेजब बात होती है लोग कहते हैं राजनीति में ऐसा ही होता है यानी गलत होता है।

कुछ काम तो लोगों की आंख में धूल झोंकने के होते हैं कई वर्षों से नदियों की सफाई का काम सरकार द्वारा करोड़ों खर्च करके चलाया जाता है लेकिन जुलाई अगस्त में बारिश के पानी द्वारा नदियां स्वयं साफ हो जाती हैं। उसके बाद उनमें गंदगी न हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है।

इसी तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुए फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरह से बैंकों के अधिकारी एवं संचालकों की गिरफ्तारी हुई है वह भी एक प्रश्नचिन्ह लगाती हैं क्योंकि जिसने फर्जीवाड़ा किया बैंकों से पैसे लिए उसके खिलाफ तो कोई कार्यवाही सरकार द्वारा की नहीं जाती, दूसरी वह सभी एजेंसी को अपने पक्ष में करने के लिए सक्षम रहता है क्योंकि उसे मैनुपुलेशन की आदत पड़ी हुई है, फंसता बेचारा कर्मचारी एवं ईमानदारी से काम करने वाले लोग। सरकार फर्जी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती वे कैसे विदेश भाग जाते हैं या और तरह से बच जाते हैं। सरकारी तंत्र एवं एलआईयू इत्यादि किसलिए काम करते हैं।

अभी हाल में सरकारी अनुदान प्राप्त बालिका गृहों में घृणित कार्य हुए हैं और सारा सरकारी अमला सिर्फ अपने को बचाने में लगा रहा और मंत्री का बयान कि अनुदान लेने के लिए ज्यादा बच्ची दिखाई जा रही थी जबकि वास्तव में संख्या कम थी हमारे लोकतंत्र में इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है लेकिन इसका भी कारण वोट और नोट है। ज्यादातर सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ या तो नेताओं एवं अफसरों के हैं बाकी एनजीओ बिना अनुदान के मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार द्वारा अनुदान लेकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं और उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है और उनकी सीबीआई जांच के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। आप को तो पता होगा कि सीबीआई में गए मामले में सजा कितने लोगों को हुई है। हो भी क्यों सीबीआई में आपस में इतनी गुटबाजी है कि आप सोच भी नहीं सकते लेकिन एक आदमी करे तो क्या करे व वह सिर्फ वोटर एवं करदाता के अलावा कुछ नहीं है। वह वोट और नोट का मुख्य स्रोत है। इसी को लोग उपयोग करके आम से खास हो रहे हैं।

इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का
उधर लाखों में नेता जी के चेलों की कमाई है।

“ भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लोक जागृति परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आज के नेताओं को इनके जीवन से सीख लेने की जररुरत है। ”

मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता।

अटल जी देश के लिए जिए

अपने लिए तो सब जीते हैं, पर वर्तमान भारतीय राजनीति में सत्ता या विपक्ष में रहते हुये जन श्रद्धा का केन्द्र बने रहना उतना ही दुष्कर है जितना कि आज भी चांद पर पहुंचना। अटल बिहारी वाजपेयी 12 साल से बिस्तर पर रहे, पर कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब उनकी चर्चाएं करोड़ो घरों में नित नहीं होती रही होंगी। आजादी के पहले के नेताओं द्वारा समाज की जो कल्पना हुआ करती थी उसे बनाये रखने का काम जो अटल जी ने किया वो आज से पहले देश के किसी भी नेता ने नहीं किया।

संसद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के समक्ष संसद में अपनी वाणी से सदन के सदस्यों के दिल को स्पंदित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि ''मैं इस युवक में भारत का भविष्य देख रहा हूं'' सच में नेहरू जी ने उन्हें जो कुछ देखा उसे अटल जी ने अपने कर्म से उस ऊंचाई तक पहुंच कर जनता के सपनों को साकार किया। अटल जी भारत के वो व्यक्तित्व रहे जो विपक्ष में रहते हुये भी देश उनके बारे में यह सोचता रहा कि आज नहीं कल यह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। राजनीति में जनता यदि नेता के बारे में सोचने लगे कि सच में इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिये तो उस व्यक्ति का जीवन स्वयं सार्थक हो जाता है। अटल जी ऐसे ही सख्स थे। अटल जी नैसर्गिक रूप से नेता बने। नेता बनने के लिये उन्होने कभी कोई जोड़ तोड़ नहीं की।

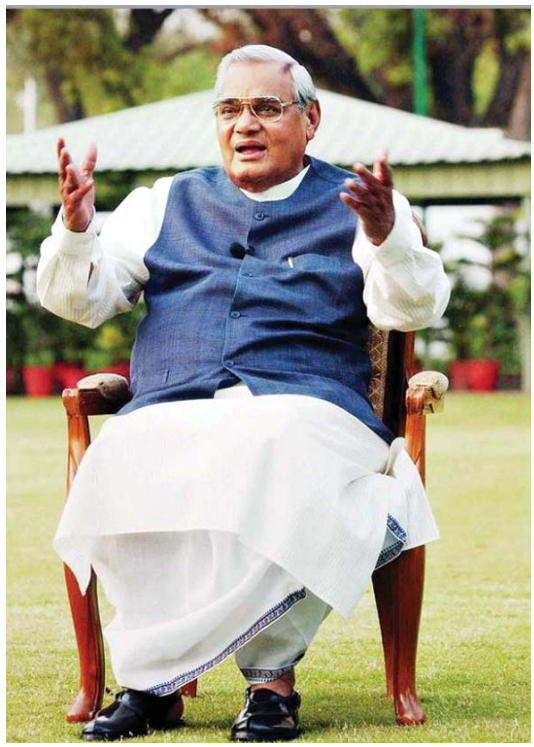

हम ग्वालियर के लोग अटल जी को बहुत करीब से जानते रहे हैं। हम उनके पासन भी नहीं हैं, पर ग्वालियर के होने के नाते स्वतः हमें गर्व महसूस होता है कि हम उस ग्वालियर के हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सख्स पैदा हुये।

अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, वे सदैव देश के बारे में सोचते रहे। आजादी के बाद के सात दशकों के वे ऐसे आखिरी नेता रहे जिनके बारे में हर नागरिक कहीं न कहीं श्रद्धा भाव रखता रहा। वे भारत के आखिरी ऐसे नेता रहे जिनको सुनने के लिये लोग अपने आप आते थे लोगों को लाने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। भारत की वर्षों की राजनीति में अपनी वाणी से भारत के ही नहीं विश्व के लोगों के मन में अपना घर बना लेना सामान्य बात नहीं है। उनकी वाणी का महत्व इसलिये बना क्योंकि उनकी वाणी और चरित्र में दूरी नहीं हुआ करती थी। वो जैसा बोलते थे वैसी ही जिन्दगी जीते थे। ''अटल जी क्या बोलेंगे'' इस पर देश इंतजार करता था। यदि किसी व्यक्ति की वाणी का देश की जनता सुनने का इंतजार करे, सच में वो व्यक्तित्व अजेय होता है। अगर हम उन्हें वरद (सरस्वती) पुत्र कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। अपने लिये तो सब जीते हैं, देश के लिये हर पल जीने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं।

''नेता'' शब्द का जब सृष्टि में निर्माण हुआ होगा, उस समय जो कल्पना की गई होगी उसका यदि भारत की जमीन पर शतप्रतिशत उतारने का और अपने जीवन शैली से जिसने जीने की को. शिश की उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। वो देश के जन गण मन को जीतते रहे। उन्होने भारत की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची कि यदि आप भारत माता की सेवा करना चाहते है तो सिर्फ सत्ता में रहकर ही नहीं बल्कि विपक्ष में रहकर भी एक राष्ट्र के प्रहरी के रूप में कर सकते हैं। विपक्ष में रहकर भारतीय मन मानस में श्रद्धा की फसल उगाना सामान्य घटना नहीं है।

अटल जी नैतिकता का नाम है। अटल जी प्रामाणिकता का नमूना है। अटल जी राजनैतिक सच का नाम है। अटल जी विरोधियों के मन को जीतने का नाम है। अटल जी विचार का नाम है। अटल जी प्रतिबद्धता का नाम है। अटल जी निराशा में आशा की किरण जगाने वाले व्यक्तित्व का नाम है। अटल जी देश की राजनी. ति में दूसरे दलों को प्रतिद्भंदी मानते थे विरोधी नहीं। अटल जी जब संसद सदस्य नहीं थे तब भी निराश नहीं हुये और वे जब प्रधानमंत्री बने तब भी उनमें घमण्ड नहीं आया। उनके जीवन में संतुलित सामाजिक व्यवहार ने देश में उनकी स्वीकार्यता बढ़ायी। अपने राष्ट्रीयता के व्यवहार से उन्होने संसद में वर्षों रहने के बाद सभी लोगों के मन मंदिर में बसे रहे।दुनिया का सबसे कठिन काम होता है कि प्रतिद्वंद्वियों के मन में श्रद्धा उपजा लेना। वे भारत के अकेले ऐसे

भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है।

राजनीतिज्ञ रहे, जिन्होने विरोध में रहकर भी सत्ताधारियों के मन में श्रद्धा का भाव पैदा किया। ऐसे लोग धरा पर विरले होते हैं। तेरह दिन, तेरह महीने और उनके पांच साल के कार्य काल को कौन भूल सकता है। भारत में गांव गांव में बनी सड़कें आज भी अटल जी को याद कर रहीं है। कारगिल का युद्ध अटल जी की चट्टानी और फौलादी प्रवृति को भी उजागर करता है। परमाणु विस्फोट कर विश्व को स्तब्ध कर देने का अनूठा कार्य भारत में अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। दल में आने वाली पीढ़ी का निर्माण और भारत में प्रतिभा शक्तियों को प्रतिष्ठित करने का अद्वितीय कार्य अटल जी ने किया। वे राजनीति के त्रिवेणी थे। वे पत्रकार रहे और राजनीतिज्ञ भी रहे। वे विचारों के टकराहट में कभी टूटे नहीं और कभी भूले नहीं कि मातृवंदना ही उनकी पूजा थी। राष्ट्रभाषा उनका जीवन था और समाज सेवा उनका कर्म रहा।

हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि अटल जी के साथ हमें काम करने का सुनहरा अवसर मिला। वे जन्में जरूर ग्वालियर में थे, पर भारत का कोई कोना नहीं था जो उन पर गर्व नहीं करता था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने अपने अथक वैचारिक परिश्रम से अद्भुत पहचान बनाई थी। वे प्रतिभा को मरने नहीं देते थे, वे प्रतिभा को पलायन नहीं करने देते थे। वे आने वाले कल में वर्तमान को सजाकर और संवार कर रखने में विश्वास रखते थे। उन्होने कभी अपने को स्थापित करने के लिये वो कार्य नहीं किया जो राजनीति में टीकाटिप्पणी की ओर ले जाता हो। वे सच के हिमायती थे। उन्होंने अपने जीवन को और सामाजिक जीवन को भी सच से जोड़कर रखा था। वो आजादी के बाद के पहले ऐसे नेता थे जिन पर जीवन के अंतिम सांस तक किसी ने कोई आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। सदन में एक बार उन्हे विरोधियों ने कह दिया कि अटल जी सत्ता के लोभी हैं, उस पर अटल जी ने संसद में कहा कि ''लोभ से उपजी सत्ता को मैं चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा''।

सन 1975 में जब भारत में इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाई तब भी उन्होंने जेल की सलाखों को स्वीकार किया। पर इंदिरा जी के सामने झुके नहीं। जेल में भी उन्होंने साहित्य को जन्म दिया। साहित्य लिखा। जनता पार्टी जब बनी तो उन पर और तत्कालीन जनसंघ पर दोहरी सदस्यता का आरोप लगा। तो उन्होने कहा कि, ''राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कोई सदस्य नहीं होता, वह हमारी मातृ संस्था है, हमने वहां देशभक्ति का पाठ पढ़ा है। इसीलिये दोहरी सदस्यता का सवाल ही नहीं उठता। हम जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, पर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ नहीं छोड़ सकते।'' विचारधारा के प्रति समर्पण का ऐसा अनुपम उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। वे शिक्षक पुत्र थे। संस्कार उन्हे उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी से मिले थे।देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने चीन युद्ध के बाद संसद में अटल जी के दिये भाषण को सराहा था। उनके इस भाषण को पूरे देश ने भी सराहा था। भारत पाकिस्तान से जब–जब युद्ध हुआ उन्होंने तत्कालीन सत्ता को नीचे दिखाने के बजाये सत्ता के साथ भारत पुत्र होने का प्रमाण दिया। इनकी कार्य शैली के कायल थे स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव। जिनेवा शिष्टमंडल में भारत के प्रतिपक्ष नेता के नाते जब भारतीय शिष्टमंडल को लेकर पंहुचे थे तो विश्व आश्चर्यचकित था। इसका मूल कारण था कि अटल जी कि मातृभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर किसी को अविश्वास नहीं था। विश्व के यदि दस राजनीतिक स्टेट्समेन का नाम लिया जाता है, तो उनमें से एक नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी का।

रामजन्म भूमि के आंदोलन में जब ढांचा गिरा तो वे व्यथित हुये, पर संसद में उन्होने कहा कि, ''मैं ढांचे गिराने का पक्षधर नहीं हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नंरसिंह राव जी आप देश को यह तो बताइये कि यह परिस्थिति पैदा क्यों हुई। कारसेवकों का धैर्य क्यों टूटा? क्या इस परिस्थिति के निर्माण में सरकार की कोई भूमिका नहीं रही? मैं ढांचा गिराने के पक्ष में नहीं रहा। पर इस बात से सरकार कैसे बच सकती है कि आखिर ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों हुई? अटल जी बालकों से, कांपते हाथों वाले वृद्ध के मन में भी अपना स्थान सदा बनाते रहे। अटल जी से हम सभी की अनेक स्मृतियां जुड़ी हुई हैं और उनमें हर स्मृतियां प्रेरणादायी रहेगी।

साभार : इंटरनेट

जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते।

खास कविताएं

गीत नहीं गाता हूँ

बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे है,
टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं,
गीत नहीं गाता हूं।
लगी कुछ ऐसी नज़र,
बिखरा शीशे सा शहर,
अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं।
गीत नहीं गाता हूं।
पीठ में छुरी सा चांद,
राहु गया रेखा फांद,
मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं।
गीत नहीं गाता हूं।

क्या खोया, क्या पाया जग में

क्या खोया, क्या पाया जग में,
मिलते और बिछड़ते मग में,
मुझे किसी से नहीं शिकायत,
यद्यपि छला गया पग–पग में,
एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें।
पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी,
जीवन एक अनन्त कहानी
पर तन की अपनी सीमाएं,
यद्यपि सौ शरदों की वाणी,
इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें।
जन्म–मरण का अविरत फेरा,
जीवन बंजारों का डेरा,
आज यहां, कल कहां कूच है,
कौन जानता, किधर सवेरा,
अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तौलें।
अपने ही मन से कुछ बोलें।

एक बरस बीत गया

एक बरस बीत गया,
झुलासाता जेठ मास।
शरद चांदनी उदास।
सिसकी भरते सावन का।
अंतर्घट रीत गया।
एक बरस बीत गया।
सीकचों मे सिमटा जग।
किंतु विकल प्राण विहग।
धरती से अम्बर तक।
गूंज मुक्ति गीत गया।
एक बरस बीत गया।
पथ निहारते नयन,
गिनते दिन पल छिन,
लौट कभी आएगा,
मन का जो मीत गया,
एक बरस बीत गया।

जीवन बीत चला

कल कल करते आज,
हाथ से निकले सारे,
भूत भविष्यत की चिंता में,
वर्तमान की बाजी हारे।
पहरा कोई काम न आया,
रसघट रीत चला,
जीवन बीत चला।
हानि लाभ के पलड़ों में,
तुलता जीवन व्यापार हो गया,
मोल लगा बिकने वाले का,
बिना बिका बेकार हो गया।
मुझे हाट में छोड़ अकेला,
एक एक कर मीत चला,
जीवन बीत चला,

सच्चाई यह है कि

सच्चाई यह है कि
केवल ऊँचाई ही काफ़ी नहीं होती,
सबसे अलग–थलग,
परिवेश से पृथक,
अपनों से कटा–बँटा,
शून्य में अकेला खड़ा होना,
पहाड़ की महानता नहीं, ,मजबूरी है।

टिप्पणियां

ऊँचाई और गहराई में
आकाश–पाताल की दूरी है।
जो जितना ऊँचा,
उतना एकाकी होता है,
हर भार को स्वयं ढोता है,
चेहरे पर मुस्कानें चिपका,
मन ही मन रोता है।

अटल जी की कविता "नए मील का पत्थर"

नए मील का पत्थर पार हुआ।
कितने पत्थर शेष न कोई जानता
अंतिम कौन पड़ाव नहीं पहचानता?
अक्षय सूरज, अखण्ड धरती,
केवल काया, जीती–मरती,
इसलिए उम्र का बढ़ना भी त्योहार हुआ।
नए मील का पत्थर पार हुआ।
बचपन याद बहुत आता है,
यौवन रसघट भर लाता है,
बदला मौसम, ढलती छाया,
रिसती गागर, लुटती माया,
सब कुछ दांव लगाकर घाटे का व्यापार हुआ।
नए मील का पत्थर पार हुआ।

''ऐ मातृभूमि के मातृभक्त,

''ऐ मातृभूमि के मातृभक्त,
पाकर तुमको हम धन्य हुये।
ले पुनरू जन्म तू एक बार,
सत नमन तुझे है बार बार।।''
अटल जी,
तूने था जो दीप जलाया,
उसे न बुझने देंगे हम।
उस बाती की पुंज प्रकाश से,
जगमग जग कर देंगे हम।।

साभार : इंटरनेट

मोदी ने कहा, मन नहीं मानता वे अब नहीं रहे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी को याद करते हुए ब्लॉग लिखा और कहा कि अटल जी अब नहीं रहे। मन नहीं मानता। अटल जी, मेरी आंखों के सामने हैं, स्थिर हैं। जो हाथ मेरी पीठ पर धौल जमाते थे, जो स्नेह से, मुस्कराते हुए मुझे अंकवार में भर लेते थे, वे स्थिर हैं। अटल जी की ये स्थिरता मुझे झकझोर रही है, अस्थिर कर रही है। एक जलन सी है आंखों में, कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पा रहा। मैं खुद को बार–बार यकीन दिला रहा हूं कि अटल जी अब नहीं हैं, लेकिन ये विचार आते ही खुद को इस विचार से दूर कर रहा हूं। क्या अटल जी वाकई नहीं हैं? नहीं। मैं उनकी आवाज अपने भीतर गूंजते हुए महसूस कर रहा हूं, कैसे कह दूं, कैसे मान लूं, वे अब नहीं हैं।वे पंचतत्व हैं। वे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सबमें व्याप्त हैं, वे अटल हैं, वे अब भी हैं। जब उनसे पहली बार मिला था, उसकी स्मृति ऐसी है जैसे कल की ही बात हो। इतने बड़े नेता, इतने बड़े विद्वान। लगता था जैसे शीशे के उस पार की दुनिया से निकलकर कोई सामने आ गया है।

मोदी ने तय किया 2019 का चुनावी अजेंडा

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी भाषण पर देशभर की नजरें टिकी हुई थीं। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में न केवल एनडीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया बल्कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर दीं। साथ ही उन्होंने सबके लिए घर, बिजली, पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य का वादाकर यह भी दर्शाने की कोशिश की कि वह पिछली यूपीए सरकार के विपरीत देश में बदलाव के लिए अधीर हैं। इस तरह उन्होंने खुद को बदलाव के नायक के तौर पर भी पेश किया है।

पीएम मोदी ने अपने 82 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, गगनयान और सेना में पुरुषों की तरह ही महिलाओं को स्थायी सेवा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई बार 'वर्ष 2013 की स्थिति' से तुलना करके पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस भाषण के जरिए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने विरोधियों को मात देने के लिए पार्टी की दिशा तय की। यही नहीं उन्होंने यह भी बता दिया कि अगर वह सत्ता में दोबारा आते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी।

प्रधानमंत्री ने बताया कि 2022 तक कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। इससे भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। लाल किले से मोदी ने कहा, 'मैं आज देशवासियों को एक खुशखबरी दे रहा हूं। 2022 में जब देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे या हो सके तो उससे पहले मां भारती की कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, अंतरिक्ष में जाएगी। उसके हाथ में तिरंगा होगा। इसके साथ ही भारत मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा।' अंतरिक्ष में भारतीय को भेजने के लिए 2022 का टारगेट रखकर मोदी ने जहां अपने अगले कार्यकाल का भी अजेंडा सेट किया, वहीं अगली सरकार के लिए एक कठिन लक्ष्य भी तय कर डाला।

सबसे ज्यादा फोकस गरीबों और महिलाओं पर

पीएम मोदी के भाषण में सबसे ज्यादा फोकस गरीबों और महिलाओं पर रहा। प्रधानमंत्री ने रेप की बढ़ती घटनाओं को राक्षसी मनोवृत्ति बताते हुए कहा कि इससे देश को मुक्त कराना होगा। उन्होंने बलात्कार के मामलों में जल्द सुनवाई और फांसी की सजा के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की अदालतों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमें इसे प्रचारित करना होगा। पीएम मोदी के इस बयान का जनता ने भी तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कानून का शासन सर्वोच्च है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सेना में पुरुषों की तरह ही स्थायी सेवा देने का ऐलान कर आधी आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश की। उनका नारा भी रहा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार में स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं। उन्होंने अपने भाषण में तीन तलाक का जिक्र कर मुस्लिम महिलाओं को भी साधा। उन्होंने तीन तलाक की शिकार महिलाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार विपक्ष की रुकावटों के बाद भी उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी।

मनमोहन सरकार पर बोला हमला

उन्होंने अपने इस आखिरी भाषण में यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान विकास की ओर है। इसी के तहत छोटे शहरों और

गांवों में लोगों को बिजली, शौचालय और घर मुहैया कराया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने आंकड़ों के जरिए पिछली मनमोहन सिंह सरकार से एनडीए सरकार की तुलना की और अपनी उपलब्धियां गिनाई।

उन्होंने कहा, 'अगर शौचालय बनाने में 2013 की रफ्तार से चलते तो शायद तो कितने दशक बीत जाते। अगर हम गांव में बिजली पहुंचाने की बात करें, तो 2013 के आधार पर सोचें, तो एक दो दशक और लग जाते।

अगर 2013 की रफ्तार से ऑप्टिकल फाइबर लगाने का काम करते तो गांवों में पहुंचाने में पीढ़ियां निकल जातीं। यही नहीं जिस रफ्तार से 2013 में गैस कनेक्शन दिया जा रहा था, अगर वही पुरानी रफ्तार होती तो देश के हर घर में सालों तक भी गैस कनेक्शन नहीं पहुंच पाता।'

भ्रष्टाचार पर दिया विपक्ष को जवाब : राफेल डील में भ्रष्टाचार और नीरव मोदी को लेकर विपक्ष के निशाने पर चल रहे पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर ऐलान किया कि भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम कड़े फैसले लेने का सामर्थ्य रखते हैं क्योंकि देशहित हमारे लिए सर्वोपरि है। जब हौसले बुलंद होते हैं, देश के लिए कुछ करने का इरादा होता है तो बेनामी संपत्ति का कानून भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि कालाधन को खत्म करने के अभियान जारी रखेंगे। दिल्ली के गलियारों में पॉवर ब्रोकर नहीं नजर आते हैं। तीन लाख संदिग्ध कंपनियों पर ताले लग चुके हैं।

कश्मीर में होगा पंचायत चुनाव : प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक इकाइयों को और मजबूत करने के लिए लंबे समय से टल रहे पंचायत और निकाय चुनाव भी जल्द कराए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा, 'जम्मू–कश्मीर के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का आह्वान था– इंसानियत, कश्मीरियत, जम्हूरियत। मैंने भी कहा है, जम्मू–कश्मीर की हर समस्या का समाधान गले लगाकर ही किया जा सकता है। हमारी सरकार जम्मू–कश्मीर के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।' पीएम मोदी ने यह कहकर अपना भाषण समाप्त किया कि यह नवयुग है और इसमें वह नया भारत बनाएंगे।

नारी संरक्षण गृह में नारियों का भक्षण

देवरिया में भी मुजफ्फरपुर जैसा कांड, नारी संरक्षण गृह में होता था दुराचार

उत्तर प्रदेश के देवरिया में बिहार के मुजफ्फरपुर जैसा मामला सामने आया है जहां एक नारी संरक्षण गृह में लड़कियों के साथ यौनाचार किये जाने का खुलासा हुआ है। मामला मां विंध्यवासिनी महिला एवं बालिका संरक्षण गृह के एनजीओ का है जहां अवैध रूप से 42 लड़कियों को रखा गया था और उनसे कथित रूप से देह व्यापार करवाया जाता था। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब संरक्षण गृह से एक बच्ची भाग कर पुलिस थाने पहुँची और सारी बात बताई।

जिले के एसपी ने बताया कि बिहार के बेतिया जिले की 10 साल की बच्ची रविवार देर शाम किसी तरह संरक्षण गृह से निकलकर महिला थाने पहुंची। वहां उसने संरक्षण गृह की अनियमितताओं के बारे में जानकारी दी। बच्ची ने बताया कि शाम 4 बजे काली और सफेद रंग की कार में लोग आते थे और वह मैडम के साथ लड़कियों को लेकर जाते थे। बच्ची ने बताया कि जो लड़की नहीं जाती थी उसे बांध कर ले जाया जाता था। उसने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि जो लड़कियां ले जायी जाती थीं वह देर रात को रोते हुए लौटती थीं और उनकी आंखें सूजी हुई होती थीं। बच्ची ने बताया कि संरक्षण गृह में भी लड़कियों के साथ गलत काम होता था। उसने यह भी बताया कि लड़कियों से झाड़ू–पोछा और बर्तन भी धुलवाए जाते हैं।

किसी अपराधी को बख्शा नहीं जायेगा

उत्तर प्रदेश के देवरिया में बाल गृह में बच्चियों से कथित यौन उत्पीड़न की खबरों पर विपक्ष के प्रहार के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देते हुए कहा कि इस घटना में शामिल किसी अपराधी को बख्शा नहीं जायेगा और राज्य सरकार इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा, 'इस प्रकार की घटना कहीं भी घटे, वह दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है।'

भाजपा शासित राज्यों में जंगलराज

बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज कहा कि प्रदेश के देवरिया जिले के नारी संरक्षण गृह में महिलाओं के साथ जबर्दस्ती देह व्यापार का घिनौना काण्ड साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कितनी ज़्यादा अराजकता है और महिलाओं की कितनी ज़्यादा दुर्दशा है। उन्होंने कहा कि यह कांड पूरे देश के लिये ही शर्म व अति–चिन्ता की बात है।

सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को भटकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर आज गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि जिधर देखो, उधर ही, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने मुजफ्फरपुर के बालिका आश्रय गृह का संचालन करने वाले गैर सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता देने पर बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया।

मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधयेक, 2018 को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधयेक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्वीकृति दे दी है। यह विवादों के समाधान के लिए संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है और यह भारत को मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्यवस्था का केंद्र बनाता है।

इस क़ानून के लाभ : 1996 के अधिनियम में संशोधन से मानक तय करने, मध्यस्थता प्रक्रिया को पक्षकार–सहज बनाने और मामले को समय से निष्पादित करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करके संस्थागत मध्यस्थता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

विशेषताएं : यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थता संस्थानों के माध्यम से मध्यस्थों की तेजी से नियुक्ति में सहायक है, इस संबंध में न्यायालय से संपर्क की आवश्यकता के बिना विधेयक में यह व्यवस्था है कि संबंधित पक्ष अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए और संबंधित उच्च न्यायालयों के अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थता संस्थानों से सीधा संपर्क कर सकते हैं।

इस संशोधन में एक स्वतंत्र संस्था भारत की मध्यस्थता परिषद (एसीआई) बनाने का प्रावधान है। यह संस्था मध्यस्थता करने वाले संस्थानों को ग्रेड देगी और नियम तय करके मध्यस्थता करने वालों को मान्यता प्रदान करेगी और वैसे सभी कदम उठाएगी जो मध्यस्थता, सुलह तथा अन्य वैकिल्पक समाधान व्यवस्था को बढ़ावा देंगे और संस्था इस उद्देश्य के लिए मध्यस्थता तथा वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था से जुड़े सभी मामलों में पेशेवर मानकों को बनाने के लिए नीति और दिशा निर्देश तय करेगी। यह परिषद सभी मध्यस्थता वाले निर्णयों का इलेक्ट्रोनिक डिपोजिटरी रखेगी।

एसीआई निकाय निगम होगी। एसीआई के अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रहा हो। अन्य सदस्यों में सरकारी नामित लोगों के अतिरिक्त जाने–माने शिक्षाविद आदि शामिल किए जाएंगे।

विधेयक समय सीमा से अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता को अलग करके तथा अन्य मध्यस्थताओं में निर्णय के लिए समय–सीमा विभिन्न पक्षों की दलीलें पूरी होने के 12 महीनों के अंदर करके

धारा 29ए के उप–धारा (1) में संशोधन का प्रस्ताव है।

इसमें नई धारा 42ए जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति या मध्यस्थता संस्थान निर्णय के सिवाय मध्यस्थता से जुड़ी कार्यवाहियों की गोपनीयता बनाए रखेंगी। नई धारा 42बी मध्यस्थता करने वाले को मध्यस्थता सुनवाई के दौरान उसके किसी कदम या भूल को लेकर मुकदमा या कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करती है।

एक नया सेक्शन 87 जोड़ने का प्रस्ताव है जो स्पष्ट करेगा कि जब तक विभिन्न पक्ष सहमत नहीं होते संशोधन अधिनियम 2015 के संशोधन अधिनियम प्रारंभ होने से पहले शुरू हुई मध्यस्थता की कार्यवाही के मामले में (बी) संशोधन अधिनियम 2015 के प्रारंभ होने के पहले या ऐसी अदालती कार्यवाही शुरू होने के बावजूद मध्यस्थता प्रक्रिया के संबंध में चालू होने वाली अदालती कार्यवाहियों में लागू नहीं होगा तथा यह सेक्शन संशोधन अधिनियम 2015के प्रारंभ होने या बाद की मध्यस्थता कार्यवाहियों में लागू होगा और ऐसी मध्यस्थता कार्यवाहियों से उपजी अदालती कार्यवाहियों के मामले में लागू होगा।

पृष्ठभूमि : मध्यस्थता प्रक्रिया को सहज बनाने, लागत–सक्षम बनाने और मामले के शीघ्र निष्पादन और मध्यस्थता करने वाले की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किया गया। लेकिन तदर्थ मध्यस्थता के स्थान पर संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने और मध्यस्थता तथा सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 को लागू करने में आ रही कुछ व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बीएच श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) बनाई गई। एचएलसी को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं। भारत में मध्यस्थ संस्थानों के कामकाज और उनके कार्य प्रदर्शन का अध्ययन करके वर्तमान मध्यस्थता व्यवस्था के प्रभाव की जांच करना। भारत में संस्थागत मध्यस्थता व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए रौडमैप तैयार करना। वाणिज्यिक विवाद समाधान के लिए कारगर और सक्षम मध्यस्थता प्रणाली विकसित करना और कानून में सुझाए गए सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

साभार : इंटरनेट

खरी-खरी

मीठा–मीठा गप, कड़वा–कड़वा थू वाली कहावत न्यायालयों के आदेशों को लेकर सरकार का रवैया।

मंच जब से अर्थदायक हो गए तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीति ऐसे गिरी कि जेबकतरे भी विधायक हो गए

भारत के लोग आजादी के 70 वर्ष बाद भी अपनी भाषा में न्याय पाने से क्यों हैं वंचित ?

भारत दुनिया का अनोखा देश है इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी भारतीय अपनी भाषा में न्याय पाने से वंचित हैं। क्यों? आज भी भारत के सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ही है।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले दिए हैं जिनमें से एक है 'तीन तलाक' के मुद्दे पर और दूसरा 'निजता के अधिकार' पर। दोनों ही फैसले भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन पर महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डालेंगे। लेकिन जिस तरह से इन फैसलों को अकादमिक क्षेत्रों में लिया जायेगा, क्या सामाजिक स्तर पर भी आम लोगों में भी वैसी चर्चा इसके बारे में हो पाएगी? शायद नहीं।

ए।के। गोपालन बनाम मद्रास राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इंदिरा नेहरू गाँधी बनाम राज नारायण, मेनका गाँधी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, सरला मुद्गल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी। के। बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एम।सी। मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आदि फैसलों ने भारतीय राजनीतिक– सामाजिक चिंतन एवं प्राशसनिक व्यवस्था को एक दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन क्या आमजन इन फैसलों से आए बदलाव को समझने से केवल इस वजह से वंचित कर दिए जाएंगे क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं समझ सकते ?

संदेश कैसा भी हो, प्रभावी तभी होगा जब यह उन लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचे जिन्हें वह प्रभावित करना चाहता है। क्या हमारी अदालतें (सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट) बदलाव को समझने के लिए तैयार हैं? आज भी हम अर्थात 'हम भारत के लोग' अपनी अदालतों से अपनी भाषा में न्याय पाने के लिए प्रयासरत हैं। जरा सोचिए, अगर ये सभी फैसले हमारी अदालतों (सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट) की वेबसाइट पर हिंदी या संबंधित राज्य की स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो जाते तो न्यायिक फैसलों की पहुँच कितनी बढ़ जाती? आम लोग भी उन फैसलों की बारीकियों को आसानी से समझ पाते। 13 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, विदेशी भाषा आम जन की भाषा नहीं हो सकती और विदेशी भाषा के जरिए कोई भी देश महान नही बन सकता। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में बहस के बाद एकमत से निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, न कि राष्ट्र भाषा क्योंकि कुछ राज्य हिंदी के पक्ष में नही थे और आम सहमति नही थी इसलिए अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ राजभाषा का दर्जा दिया गया।

संविधान के भाग 17, अध्याय 1 में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जिसके अनुसार "अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343(2) में कहा गया है कि खंड(1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था ; परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अनुच्छेद 343(3) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के बाद, विधि द्वारा (क) अंग्रेजी भाषा का, या (ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किये जाए।" इस प्रकार, केवल 15 वर्षों के लिए 1965 तक के लिए अंग्रेजी की व्यवस्था की गई थी ताकि जिन राज्यों में हिंदी नही बोली जाती उन प्रदेशों में हिंदी का प्रचार–प्रसार हो सके। लेकिन 1965 में यह प्रस्ताव पारित हुआ की सभी सरकारी कार्यों में हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी का भी सह–राजभाषा के रूप में प्रयोग होगा। 1967 में 'भाषा संशोधन विधेयक' संसद में पारित कर राजकाज में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया। 2009 में गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का। इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। सभी 24 उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अप्रैल 2016 में जब मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के समक्ष हिंदी को हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाने के उद्देश्य से संविधान में संसोधन के लिए याचिका दाखिल हुई तो उन्होंने इसे तुच्छ एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कहकर ख़ारिज कर दिया।

खरी-खरी

पहले अवैध निर्माण कराओ
फिर अवैध निर्माण तुड़वाओ
गाजियाबाद विनाश प्राधिकरण
का मुख्य उद्देश्य।

गुजरे वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के यादगार फैसले

निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है

निजता के अधिकार के बारे में लंबी अवधि से चले आ रहे इस बहस को अंजाम तक पहुंचाते हुए अपने इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है। यह फैसला नौ जजों की पीठ ने एकमत से सुनाया। पीठ ने इस मामले में एमपी शर्मा और खड़क सिंह मामले में अपने फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने फैसले के जिन बातों को निरस्त किया।

एमपी शर्मा मामले में निजता को मौलिक अधिकार नहीं कहना खड़क सिंह मामले में निजता को मौलिक अधिकार नहीं बताना निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत हिस्से के रूप में संरक्षित है

तीन तलाक असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को बहुमत (3:2) से असंवैधानिक करार दिया। न्यायमूर्ति नरीमन और ललित ने कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन करता है, जबकि न्यायमूर्ति जोसफ ने कहा कि यह प्रथा शरीयत और कुरान की मौलिक मत के खिलाफ है।

अध्यादेश को विधायिका के सामने पेश करना जरूरी, इसे दुबारा जारी करना संविधान से धोखा

सात जजों की संवैधानिक पीठ ने कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में बहुमत से फैसला दिया कि अध्यादेशों को दुबारा जारी कर देना संविधान के साथ धोखा और विधाई प्रक्रिया को बाधित करना है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 और राज्यपाल का अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेशों से सहमति जताना न्यायिक पुनरीक्षण से परे नहीं है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुमत के फैसले में कहा कि ऐसा करना जरूरी है जबकि न्यायमूर्ति एमबी लोकुर ने कहा कि यह निर्देशात्मक प्रकृति का है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा कि वे इन दोनों ही अनुच्छेदों की व्याख्या के मामले को संसद/विधायिका के लिए खुला छोड़ रहे हैं।

अवयस्क पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार है

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी (अवयस्क) के साथ यौन संबंध उसके साथ बलात्कार है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 198(6) 18 साल से कम उम्र की पत्नियों के साथ बलात्कार के मामले में प्रयुक्त होगा इस मामले पर संज्ञान इसी धारा के अनुरूप लिया जाएगा। कोर्ट ने आपराधिक क़ानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित आईपीसी की धारा 375 (जो कि बलात्कार को परिभाषित करता है) के दो अपवादों का भी जिक्र किया जो इस तरह के यौन संबंधों की इजाजत देता है। इन मामलों में सहमति से यौन संबंध के लिए उम्र की सीमा को 15 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया है।

धर्म/जाति के नाम पर वोट मांगना

सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि धर्म, जाति या सम्प्रदाय के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है और इस तरह के उम्मीदवार के चुनाव को इस आधार पर रद्द किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला 4:3 से दिया। पीठ ने जनप्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 123(3) की व्याख्या करते हुए कहा, "हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि हिंदुत्व क्या है और इसका अर्थ क्या है। हम 1995 के फैसले पर भी पुनर्विचार नहीं करेंगे और इस समय हिंदुत्व या धर्म की जांच भी नहीं करेंगे। इस समय हम अपने को उन्हीं मुद्दों तक सीमित रखेंगे जो हमारे सामने में उठाया गया है। हमारे सामने जो बातें रखी गई हैं उनमें "हिंदुत्व" का कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई इस बारे में बताता है कि "हिंदुत्व" का जिक्र है, तो हम उसकी बात सुनेंगे। हम इस समय हिंदुत्व के मुद्दे में नहीं जाएंगे।

निर्भया मामले में अभियुक्तों को मौत की सजा

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में अभियुक्तों की मौत की सजा को बरकरार रखा। 430 पृष्ठ के फैसले में पीठ ने कहा कि अभियुक्तों का व्यवहार पाशविक रहा है और यह पूरी घटना किसी और दुनिया की कहानी लगती है जहाँ मानवीयता को अपमानित किया गया है। तीन जजों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, आर बनुमथी और अशोक भूषण शामिल थे, ने अभियुक्तों की याचिका ख़ारिज कर दी और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा।

अवमानना के आरोप में हाई कोर्ट जज को जेल

खरी-खरी

सरकार की राष्ट्रीयकृत बैंकों की दुर्दशा करने के पीछे क्या मंशा है! निजी हाथों मे देने का तो नहीं है इरादा!

शिक्षा की जड़े भले ही कड़वी हों, इसके फल मीठे होते हैं।

एक महत्त्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सीएस करणन को अवमानना के आरोप में छह माह की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा, "हमारे विचार से न्यायमूर्ति करणन ने न्यायालय की अवमानना की है। उन्होंने जो काम किया है उससे कोर्ट और न्यायपालिका की गंभीर अवमानना हुई है। हम उनको छह माह के जेल की सजा देकर संतुष्ट हैं। ... अवमानना करने वाला किसी भी तरह का प्रशासनिक या न्यायिक कार्य नहीं करेगा।" इस पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर ने की।

न्यायमूर्ति करणन ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन और अवकाश प्राप्त जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

एडवोकेटों की वरिष्ठता के बारे में दिशानिर्देश।।।

एडवोकेट को वरिष्ठ मानने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए। उसने कहा कि अब से सुप्रीम कोर्ट से जुड़े सभी मामलों को प्रारम्भिक रूप से एक समिति देखेगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करेंगे।

दो वरिष्ठतम जज और अटॉर्नी जनरल इस समिति के सदस्य होंगे जो बार से एक सदय का चुनाव करेंगे।

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि सड़क दुर्घटना में हर साल एक लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है।

इसका मतलब यह हुआ कि हर तीन मिनट में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। पीठ ने कहा कि दुर्घटना में मौत और अन्य वाहन दुर्घटनाओं के कारण दिए जाने वाले मुआवजे की राशि सैकड़ों करोड़ में है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और 13 अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों को दुबारा बहाल कर दिया।

अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष संवैधानिक

अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति पीसी घोष और रोहिंटन नरीमन की पीठ ने राय बरेली मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मामलों को भी लखनऊ सीबीआई कोर्ट को सम्मिलित सुनवाई के लिए भेज दिया।

नेत्रहीन दिव्यांगों की सार्वजनिक स्थलों तक पहुँच बनाने के लिए समय सीमा का निर्धारण

सुप्रीम कोर्ट ने नेत्रहीनों का सार्वजनिक स्थलों तक पहुँच सुगम करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने निर्देश दिया कि

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राज्य की राजधानियों में मौजूद कुल सरकारी भवनों के 50 फीसदी भवनों में दिसंबर 2018 तक उनकी पहुँच आसान कर दी जाए।

स्थानांतरित याचिका पर वीडिओ कांफ्रेंसिंग की इजाजत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा वेणी नगम बनाम हरीश नगम के मामले में कहा कि अगर यह आदेश दिया जाता है कि सुनवाई वीडिओ कांफ्रेंसिंग द्वारा हो तो यह ध्यान रखा जाना है कि 1984 के अधिनियम की भावना को ठेस न पहुंचे क्योंकि ऐसा होता है तो न्याय का उद्देश्य परास्त होगा। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने पक्षकार की सुनवाई में नहीं उपस्थित होने की स्थिति में एक विकल्प उपलब्ध कराया था जो ऐसे पक्षकार के लिए था जो अपनी रिहा. इश की जगह से दूर होने के कारण सुनवाई में नहीं आ सकता। कोर्ट ने यह पूरी तरह उस कोर्ट की मर्जी पर छोड़ दिया था जहाँ मामले को स्थानांतरित किया गया कि वह चाहे तो जो पेशी पर नहीं आ पाए ऐसे गवाहों की पेशी को वीडिओ कांफ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड कर सकता है।

कानूनी उत्तराधिकारी शिकायतकर्ता को दंडित कर सकता है

न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें उसने कहा था कि, "अगर 1973 की संहिता यह चाहता कि ऐसे मामले जिसमें वारंट जारी हुए हैं पर शिकायतकर्ता की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में शिकायतकर्ता की शिकायत को रद्द कर दिया जाए तो इस तरह के प्रावधानों का उसमें जिक्र होता जो कि नहीं है।"

उपहार कांड में दोषियों को सजा

सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा के मालिकों में से एक 69 वर्ष के गोपाल अंसल को एक साल के लिए जेल भेज दिया। इस सिनेमा हॉल में 1997 में आग लगने के कारण 59 लोगों की जान चली गई थी। पर कोर्ट ने यह बात कायम रखी कि उसके भाई सुशील अंसल को पांच माह की जेल की सजा मिलेगी और जो वह पहले ही भुगत चुका है। कोर्ट ने कहा कि इस घटना के कारण लोगों को जिस तरह की तकलीफ़ हुई है और जो जानें गई उसको देखते हुए अंसल पर लगाए गए 30 करोड़ का जुर्माना पर्याप्त नहीं है और इसमें वृद्धि करने की बात कही।

आईपीसी की धारा 498A का दुरुपयोग रोकने का निर्देश

दो जजों की एक पीठ ने आईपीसी की धारा 498A का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति एके गोयल और यूयू ललित ने कहा कि धारा 498A को इसलिए जोड़ा गया था ताकि पतियों या उनके रिश्तेदारों के हाथों पत्नियों के शोषण को रोका जा सके क्योंकि कई बार ऐसी यातनाओं की परिणति महिलाआ. ं की आत्महत्याएँ या उनकी हत्या में होती है।

साभार : इंटरनेट

खरी-खरी

बालिका गृह बना
बलि गृह।

सख्त शिक्षा से श्रेष्ठ शिष्य निकलते हैं।

किसी अवयस्क की ओर से मुकदमा कोई भी दायर कर सकता है, इसके लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं

किसी अवयस्क की ओर से याचिका दायर करने की प्रक्रिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कोर्ट द्वारा मित्र की नियुक्ति के बारे में न तो कोई प्रावधान है और न ही इस तरह की किसी नियुक्ति के लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत है।कोर्ट ने नागैयाह बनाम चोवदम्मा मामले का हवाला देते हुए उक्त बातें कही।न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति मोहन एम शंतानागौदर की पीठ ने इस बारे में कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कोर्ट ने एक अवयस्क की उस याचिका को खारिज कर दिया जो उसने अपने बड़े भाई के माध्यम से दायर की थी। याचिका खारिज करते हुए जज ने कहा था कि अवयस्क के पिता के जीवित रहते हुए उसका बड़ा भाई उसका अभिभावक नहीं बन सकता क्योंकि बड़े भाई को किसी उपयुक्त कोर्ट ने छोटे अवयस्क भाई का अभिभावक नियुक्त नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की धारा 4(इ) पर पूरी तरह निर्भर रहकर हाई कोर्ट ने गलत राह पकड़ ली। पीठ ने कहा, "वर्तमान तथ्य हिंदू गार्डियनशिप एक्ट से निर्देशित नहीं होते; बल्कि ये कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर के आदेश से प्रशासित होते हैं"। कोर्ट ने सिविल प्रोसीजर कोड के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि कोई अगला मित्र जरूरी नहीं है कि कोर्ट द्वारा विधिवत नियुक्त किया गया कोई अभिभावक ही हो, जैसा कि हिंदू गार्डियनशिप एक्ट में कहा गया है। कोर्ट ने कहा, "अगला मित्र" उस अवयस्क या किसी व्यक्ति के लाभ के लिए काम करता है जो कि अपने हित का ख़याल नहीं रख सकता और अपने मुकदमे खुद नहीं लड़ सकता। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जहाँ कहीं भी किसी अल्पवयस्क की ओर से कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, कोर्ट से इसके लिए किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होती। अगर मुकदमा किसी अवयस्क व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया है तो यह वादी के लिए बाध्यकारी है कि वह अवयस्क के लिए कोर्ट से मुकदमे चलने की अवधि के लिए एक अभिभावक की नियुक्ति कराए। पीठ ने गोपालस्वामी गौंदर बनाम रामास्वामी कौंदर मामले में केरल हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसका हित अवयस्क के हित से नहीं टकराता है, उसका अगला मित्र बन सकता है।

अधिग्रहण की प्रक्रिया के शुरू हो जाने के बाद जमीन खरीदने वाला उसको चुनौती नहीं दे सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को दो महीने के भीतर एक व्यक्ति के मुआवाजे की अपील पर निर्णय करने का आदेश दिया है। इस व्यक्ति की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के शुरू होने के बाद जमीन खरीदता है तो वह उस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता।

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और अजय भनोत की पीठ ने जिला प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस व्यक्ति के आवेदन पर दो महीने के भीतर निर्णय करें।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वकील प्रजल मेहरोत्रा ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित इस मामले पर शीघ्र विचार किया जाएगा।

याचिकाकर्ता सुरेन्द्र सिंह नाथ ने कोर्ट से भूमि अधिग्रहण अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला गाजीपुर को कोर्ट में बुलाकर मुआवजे के उनके आवेदन को शीघ्र निपटाने की अपील की थी।

यह जमीन गाजीपुर जिले के महमूदपुर पाली गाँव में है। सुरेन्द्र नाथ ने यह जमीन उसके पहले के मालिक से 22 जुलाई 2016 को खरीदी थी और उसकी रजिस्ट्री कराई थी जिसके हिसाब से वह मुआवजे का अधिकारी है क्योंकि उसकी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत की गई है।

साभार : इंटरनेट

असफलता से सफलता की शिक्षा मिलती है।

"न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए", ये पीड़ित पर भी लागू : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए, ये पीड़ित पर भी लागू होता है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मार दिए गए व्यक्ति की पत्नी की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अदालत ने ये केस ट्रांसफर कर दिया। दरअसल एक व्यक्ति की विधवा, जिसकी हत्या कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हुई थी, ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी जिसमें बलोदा बाज़ार के न्यायालय से रायपुर या आसपास के इलाके के किसी भी अन्य कोर्ट में आपराधिक मामले को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

उसने तर्क दिया कि पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाने और फास्ट ट्रैक करने कोशिश कर रहा है। इस मामले में चश्मदीद गवाहों पर दबाव बनाकर तेज़ी दिखा रहा है। उसने अदालत के सामने पेश किया कि अभियोजन द्वारा नियुक्त वकील के अलावा उसकी ओर से मामले की बहस करने के लिए उसके द्वारा एक वकील को शामिल करने की अनुमति की अर्जी को ट्रायल अदालत ने खारिज कर दिया था, हालांकि ये कहा था कि वह

अंतिम दलीलों के वक्त अपना बात रख सकती है।

अदालत ने एक चश्मदीद गवाह के बयान पर भी ध्यान दिया, जिसने शपथ पत्र दायर किया और कहा कि आरोपी के पक्ष में एक विशेष तरीके से एक बयान देने के लिए उस पर दबाव डाला गया था। अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त, जो पुलिस कर्मी हैं और शेष गवाह बलोदा बाज़ार में रहते हैं, जहां मुकदमा लंबित है, इसलिए इस आरोप का खंडन नहीं किया जा सकता।

"अगर पीड़ित व्यक्ति के कोण से देखा जाए कि वो अन्याय का सामना करेंगे, क्योंकि लड़ाई पुलिस के पूरे विभाग के खिलाफ है, इस आशंका पर स्थल के हस्तांतरण के पक्ष में धारणा बनती है। अनुपात कि अभियुक्त के साथ न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए, पीड़ित पर भी समान रूप से लागू होता है। मामले के तथ्यों की स्थिति को देखते हुए, हमारी राय है कि मामला रायपुर के एक सक्षम सत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, "न्यायमूर्ति गौतम भादुडी ने कहा और मामले को ट्रांसफर करने का आदेश दिया।

यूजीसी ने 35 यूनिवर्सिटी के ओपन कोर्सों की मान्यता खत्म की

यूजीसी ने 35 स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किए जा रहे डिस्टेंस लर्निंग कोर्सों की मान्यता रद्द कर दी है। इससे देश भर में लाखों छात्रों का भविष्य अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। यूजीसी के फैसले को वापस लेने के लिए संस्थानों से एक महीने के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने अधिसूचित किया कि पांच सालों से नियमित रूप से यूनिवर्सिटी जिन कोर्सों का संचालन नहीं कर रही हैं, उसकी मान्यता भी रद्द होगी। यूजीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूजीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पेशेवर कोर्स जैसे एमबीए, एमसीए, बीएड, होटल मैनेजमेंट और टूरिजम आदि के लिए संबंधित रेग्युलेटरी अथॉरिटी से पहले मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही मान्यता दी जाएगी। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को सूत्रों ने बताया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किए जा रहे कोर्सों की अभी समीक्षा की जा रही है। कोर्स को रद्द किए जाने के भय से कई यूनिवर्सिटियों ने ऑफर किए जाने वाले प्रोग्रामों की संख्या घटा दी है क्योंकि वे अनुपालन की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं।

महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी के इंस्टिट्यूट ऑफ डिस्टेंट ऐंड ओपन लर्निंग (आईडीओएल), शिवाजी यूनिवर्सिटी, मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म हुई है। इसके अलावा यशवंतराव चाह्वान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी को अपने 38 यूजी और पीजी प्रोग्रामों में से सिर्फ 17 में दाखिले की अनुमति है।

मुंबई यूनिवर्सिटी के आईडीओएल के निदेशक डॉ।हरिचंदन ने बताया, 'हमारे सभी कोर्सों की अनुशंसा एक्सपर्ट कमिटी ने की थी। हम नहीं जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। मुंबई यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था है और हमारे कोर्सों को हमारी ऐकडेमिक काउंसिल मान्यता देती है, हमारे कोर्सों की मान्यता खत्म करने वाला यूजीसी कौन है?' यूजीसी की ओर से बताया गया है कि मान्यता रद्द करने का कारण इस यूनिवर्सिटी के पास नैशनल असेस्टमेंट ऐंड ऐक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की मान्यता का न होना है। (एजेंसी)

खरी-खरी

गो पालेंगे नहीं
सिर्फ रक्षा करेंगे।

अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को प्रमाणपत्र पेश करने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई पक्षकार जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है पर अगर वह उस यंत्र का मालिक नहीं है जिससे यह साक्ष्य/प्रमाणपत्र निकला है तो उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) के तहत प्रमाणपत्र पेश करने की जरूरत नहीं है।

न्यायमूर्ति एके गोएल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने इस कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया। इस बारे में एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह व्यवस्था दी। पीठ ने कहा कि याचिका में प्रश्न यह उठाया गया था कि किसी अपराध स्थल पर अपराध के दृश्य या जांच के दौरान हुई बरामदगी का वीडियो साक्ष्य संग्रहण को प्रोत्साहित करेगा या नहीं। सुनवाई के दौरान इस बारे में आशंका व्यक्त की गई कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) के तहत अगर साक्ष्य के रूप में कोई बयान दिया गया है तो उक्त प्रावधानों के तहत उस व्यवस्था या उस मशीन को चलाने वाले उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति से प्रमाणपत्र चाहिए या नहीं। इस संदर्भ में पीठ ने कई मुकदमों का जिक्र करते हुए कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) के तहत प्रमाणपत्र पेश करने की प्रक्रियात्मक जरूरतों को लागू करने की आवश्यकता तभी हो जब इस तरह का इलेक्ट्रोनिक प्रमाणपत्र कोई ऐसा व्यक्ति दे जो इस व्यवस्था को चलाने वाला प्रमुख व्यक्ति हो। पीठ ने कहा, "एक ऐसे मामले में जिसमें कोई ऐसा पक्षकार एक इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य पेश करता है और इस साक्ष्य को प्रिंट करने वाला यंत्र उसका नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता कि साक्ष्य अधि. नियम की धारा 65बी(4) यहाँ लागू नहीं होता। उस स्थिति में, उक्त धारा के तहत प्रक्रिया की मदद निश्चित रूप से ली जा सकती है। अगर इसकी अनुम. ति नहीं दी गई तो यह उस व्यक्ति को न्याय से वंचित करना होगा जिसके पास प्रामाणिक साक्ष्य/गवाही है लेकिन इसको साबित करने के तरीके के कारण इन दस्तावेजों को कोर्ट द्वारा इस पर विचार से दूर रखा जा रहा है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) के तहत वह प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त कर सकता। इस तरह, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) के तहत प्रमाणपत्र हमेशा जरूरी नहीं है।"

कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई को 13 फरवरी तक के लिए मुल्तवी कर दिया जब अपराध स्थल पर हुई विडियोग्राफी को साक्ष्य के रूप में प्रयोग करने और स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के बारे में अंतिम रूप से रोडमैप बनाने पर गौर किया जाएगा।

जस्टिस जोसेफ समेत तीन जजों ने ली शपथ, अब 25 न्यायाधीश

न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ को वरिष्ठता के इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई गयी। इन तीन न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही अब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 25 हो गयी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अपने न्यायालय कक्ष में सवेरे साढ़े दस बजे सबसे पहले न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी को शपथ दिलाई। इसके बाद न्यायमूर्ति सरन और फिर न्यायमूर्ति जोसेफ ने न्यायाधीश के पद की शपथ ली।

इन न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह में शीर्ष अदालत के सारे न्यायाधीश और विधि अधिकारी उपस्थित थे। इनके अलावा बड़ी संख्या में वकील भी प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में मौजूद थे। हालांकि, इससे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी आधिका.

रिक अधिसूचना में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ का नाम वरिष्ठता क्रम में सबसे नीचे होने की वजह से कल तक कुछ विवाद की स्थिति बनी हुयी थी।

शीर्ष अदालत की कोलेजियम के सदस्यों में से न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए के सीकरी सहित कुछ न्यायाधीशों ने सरकारी अधिसूचना में न्यायमूर्ति जोसेफ की वरिष्ठता क्रम करने के संबंध में प्रधान न्यायाधीश से मुलाकात करके इस पर अपनी नारजगी भी व्यक्त की थी। न्यायालय के सूत्रों ने बताया था कि प्रधान न्यायाधीश ने आपत्ति व्यक्त करने वाले न्यायाधीशों को आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष उठायेंगे।

खरी-खरी

बैंकिंग घोटाला करने वालों को सरकारी एवं न्यायिक संरक्षण बैंक के लोगों की प्रताड़ना आखिर क्यों!

अति से अमृत भी विष बन जाता है।

एससी/एसटी एक्ट के मुद्दे पर 'भारत बंद'

देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार और तमाम राजनीतिक दलों ने मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 को उसके पुराने स्वरूप में बनाए रखा है, यानी बदला कुछ नहीं। जैसा कानून पहले था, वैसा ही अब भी होगा। मगर दूसरा सच यह है कि लंबी सुनवाई और गहन समीक्षा के बाद दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति या समूह को गरिमामय जीवन उपलब्ध कराने के मकसद से कानूनी ढांचा बनाना राजनीतिक प्रतिष्ठान का दायित्व है। उसी के तहत यह कानून बना। हालांकि अब से कोई तीन दशक पहले बने इस कानून के पीछे राजनीतिक लाभ पाने की सोच अधिक थी। बावजूद इसके, इसने वंचित तबके को एक सुरक्षा अस्त्र उपलब्ध कराया, जिससे वे अपने साथ होने वाले अपमान या अपराध का कानूनी प्रतिकार कर सकें। इसके परिणाम भी आए। जब तक समाज में जातिभेद का अंत नहीं हो जाता, ऐसे सारे कानूनों का अस्तित्व में बने रहना जरूरी है। प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय ने अपने फैसले में इस कानून की उपयोगिता, प्रासंगिकता आदि को कमजोर कर दिया था/ इसका सीधा उत्तर है नहीं।

अदालत का मकसद : अदालत ने इस कानून पर कोई प्रश्न उठाया ही नहीं। उसने केवल यह माना कि इसका व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और निर्दोष लोग इसके शिकार हो रहे हैं। उसने केवल यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि इसका दुरुपयोग न हो। पर कोर्ट का फैसला आते ही यह दुष्प्रचार शुरू हो गया कि मोदी सरकार दलितों के हक वाले कानून को खत्म कर रही है। सरकार या राजनीतिक दल दुष्प्रचार के दबाव में काम करेंगे, या सच से देश को अवगत कराएंगे/ 20 मार्च को फैसला आया और 2 अप्रैल को आयोजित बंद में इतने व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई कि लगा ही नहीं कि देश में सरकार और कानून–व्यवस्था कायम रखने वाली एजेंसियों का कोई अस्तित्व भी है। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के साथ जो सच रखा, उसे समझने की जहमत कोई नहीं उठा रहा।

अगर एक सप्ताह किसी की गिरफ्तारी न हो तो उससे क्या आफत आ जाएगी/ सरकारी कर्मियों के खिलाफ अनुसूचित जाति–जनजाति का व्यक्ति यदि जातिसूचक शब्दों के साथ अपमान या उत्पीड़न का आरोप लगा दे तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, भले ही वह निर्दोष हो। इसलिए कोर्ट ने अग्रिम जमानत का प्रावधान किया। उसने जांच और कार्रवाई पर तो रोक नहीं लगाई। सच कहा जाए तो कोर्ट का फैसला कानून को और बेहतर बनाने वाला था ताकि वह अपने वास्तविक उद्देश्यों को पूरा करे। न्यायालय ने तथ्यों के साथ यह टिप्पणी की कि यदि किसी कानून का बेगुनाह लोगों को आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए दुरुपयोग होता है तो न्यायालय मूकदर्शक नहीं रह सकता। उसने दुरुपयोग के प्रमाण भी दिए। मसलन, 2016 में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किए जाने के 5347 और अनुसूचित जनजाति के प्रताड़न के कुल 912 मामले झूठे पाए गए। वर्ष 2015 में इस कानून के तहत न्यायालयों ने 15,638 मुकदमों का निपटारा किया जिसमें से 11,024 में आरोपी बरी हुए। यही नहीं, 495 मुकदमे वापस भी लिए गए। सजा केवल 4119 मामलों में हुई।

इस मामले पर कैसी अनैतिक राजनीति हुई है, इसे समझने के लिए एक अन्य तथ्य पर ध्यान दीजिए। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलितों के साथ अन्याय करार देकर बीजेपी पर सबसे तीखा हमला किया। 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद मायावती ने स्वयं माना था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। उनकी सरकार ने जो निर्देश जारी किए थे, उनके सामने सुप्रीम कोर्ट का संशोधन कुछ भी नहीं था। 20 मई 2007 को तत्कालीन मुख्य सचिव शंभूनाथ की तरफ से जारी पत्र में निर्देश दिया गया था कि केवल हत्या–बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं में इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज हों। कम गंभीर अपराधों के मामले अन्य संगत धाराओं में दर्ज किए जाएं। बलात्कार की शिकायतों पर तभी कार्रवाई का निर्देश था जब मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो जाए और आरोपी प्रथमदृष्ट्या दोषी पाया जाए। पत्र में लिखा था कि पुलिस को केवल शिकायतों के आधार पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे मामले देखे गए हैं जब लोगों ने निजी बदला चुकाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया। इसके 6 महीने बाद (29 अक्टूबर 2007) तत्कालीन मुख्य सचिव प्रशांत कमार ने पुलिस महानिदेशक और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा कि अगर मुकदमा गलत पाया जाता है तो आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा ही निर्देश सरकारी कर्मियों के संदर्भ में भी था।

इस एक्ट के दुरुपयोग से समाज में एक अलग तरह के अन्याय की स्थिति बन रही है जो भविष्य में विस्फोटक रूप ले सकती है

तथ्य और तर्क : मोदी सरकार और बीजेपी मायावती से पूछ सकती थी कि उनके शासन में कानून का दुरुपयोग होता था और उसे रोकने संबंधी उनके कदम सही थे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत कैसे हो गया/ नरेंद्र मोदी से उम्मीद यही थी कि वह साहस के साथ कोर्ट के फैसले की रक्षा करेंगे और उनकी सरकार लोगों को सच बताने का जोखिम उठाएगी। लेकिन कानून में संशोधन करके उन्होंने निराश किया है। संसद द्वारा न्यायालय का फैसला पलटना असंवैधानिक नहीं है। किंतु अदालत ने इसके दुरुपयोग से संबंधित तो तथ्य और तर्क दिए हैं, वह भी एक यथार्थ है जिसका असर समाज पर हो रहा है। जो लोग समता और ममता से भरा समाज बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग से समाज में एक अलग तरह के अन्याय की स्थिति बन रही है जो भविष्य में विस्फोटक रूप ले सकती है। कोर्ट ने उसी से समाज को बचाने के लिए यह फैसला दिया था, पर अपने–अपने स्वार्थ से बंधे राजनीतिक दलों ने इससे पीठ फेर ली। सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा बदलाव इसमें मायावती सरकार ने किए थे।

खरी-खरी

नई सड़कों का जाल बिछाया
जा रहा है पुरानी तालाब
बनती जा रही हैं।

बिना जाने हठ पूर्वक कार्य करनेवाला अभिमानी विनाश को प्राप्त होता है।

निर्माण मजदूर भी देश निर्माण में अपने तरीके से मदद करते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए महत्त्वपूर्ण निर्देश

सत्ता में बैठे लोगों को निर्माण कामगारों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है और वे उनके लाभ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। स्थिति इतनी दुखद है कि शेक्सपियर की दुखांत गाथा भी इसके आगे शर्मा जाए, कोर्ट ने कहा।

देश के लाखों निर्माण कामगारों को "सांकेतिक न्याय" देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं जो कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेग्यूलेशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनिम) और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1996 (द सेस एक्ट) को लागू करने को लेकर हैं।

कोर्ट ने शुरू में 2006 में नेशनल कैंपेन कमिटी ने निर्माण मजदूरों को लेकर एक केंद्रीय क़ानून बनाने को लेकर दायर किए गए एक रिट पर सुनवाई करते हुए कहा, "यह सांकेतिक न्याय है। असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। न सामाजिक न्याय और न आर्थिक न्याय। इसका कारण बहुत साधारण है। कोई राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश संसद द्वारा पारित उन दो कानूनों बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेग्यूलेशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनिम) और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1996 (द सेस एक्ट) पर अमल करते हुए उन्हें पूरी तरह लागू करने को इच्छुक नहीं हैं"।

अपना असंतोष जाहिर करते हुए न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि समय–समय पर शीर्ष अदालत ने इन दो कानूनों को लागू करने को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं उनकी इन्होंने बिना किसी भय के उपेक्षा की है।

पीठ ने कहा, "हमें बताया गया है कि सेस अधिनियम के तहत 37,400 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं पर अभी तक सिर्फ 9500 करोड़ रुपए ही प्रयोग में लाए गए हैं। शेष 28,000 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है? क्यों देश भर के निर्माण मजदूरों को इस भारी राशि के लाभ से वंचित किया जा रहा है? ये कुछ सवाल हैं जो इस याचिका में उठाए गए हैं। क्या इसके जवाब हवा में बह गए हैं?" पीठ ने कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार को पहले से ही संग्रहीत इस सेस के लाभदायक प्रयोग के बारे में कोई निर्णय लेना ही होगा ताकि कल्याणकारी बोर्ड इस भारी राशि का लाभ न उठाएं और जिसके लाभ के लिए यह है वे घाटे में न रहें।

कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि किसी भी राज्य की परामर्श समिति ने पिछले 12 महीनों में कोई बैठक नहीं की। पीठ ने कहा, "इससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि सत्ता में बैठे लोगों को इन मजदूरों की कोई चिंता नहीं है और वे इनकी भलाई के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। यह बहुत ही दुखद है शायद इतनी दुखद कि शेक्सपीयर की दुःख भरी कहानियाँ भी शर्मा जाए"।

कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वे इस तरह से हैं। पंजीकरण व्यवस्था की स्थापना की जाए और उसे मजबूत किया जाए और यह व्यवस्था और मजदूर दोनों के पंजीकरण के लिए हो।

सेस वसूली मशीनरी की स्थापना हो और उसको मजबूत बनाया जाए।

एक मिश्रित मॉडल बनाया जाए और इसके लिए जमीनी काम करने वाले एनजीओ और अन्य साझीदारों के साथ मशविरा किया जाए। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस कार्य के जरूरी होने के बावजूद ज़रा धीमे चले और एक मॉडल योजना तैयार करें जो कि व्यापक हो और जिसे लागू करना आसान हो और इसमें बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई न करनी पड़े। बीओसीडब्ल्यू पर अमल का सोशल ऑडिट हो ताकि भविष्य में इसमें और सुधार लाया जा सके।

हर राज्य और यूटीए एक परामर्श समिति बनाएंगे और इसकी नियमति बैठक आयोजित करेंगे।

हर राज्य और यूटीए बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 62 के तहत एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगा।

हर राय और यूटीए निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए एक कल्याण कोष गठित करेगा और इस मद की राशि के प्रयोग के लिए नियमों का निर्धारण करेगा।

सभी निर्माण मजदूरों को पहचान पत्र देना जरूरी होगा और उनको पंजीकृत कराना होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उनको यूनिवर्सल एकसेस नंबर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय निर्माण मजदूरों को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और मिस्लेनियस प्रोविजन एक्ट, 1952 और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का लाभ दिलाने के लिए सक्रिय होकर विचार करेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय यह निर्णय भी करेगा कि भारत सरकार के अधीन रेलवे, रक्षा और अन्य विभागों की परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को भी बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत लाया जाए या नहीं। निगरानी समिति बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और सेस अधिनियम और इस अदालत द्वारा दिए गए निर्देश का पूरी तरह पालन करेगा। उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह अब ज्यादा बैठकें करेगा और कम से कम तीन महीने में एक बार तो जरूर बैठेगा। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 मई को करेगी और इस बात की जांच करेगी कि संबंधित अथॉरिटीज ने निर्देशों का पालन करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है या नहीं।

(एजेंसी)

खरी-खरी

एक ही परिवार के कई लोग संसद विधायक मंत्री बन कर क्या अन्य लोगों के साथ अन्याय नहीं कर रहे है।

अवगुण नाव की पेंदी के छेद के समान है, जो चाहे छोटा हो या बड़ा, एक दिन उसे डुबो देगा।

पाप बढ़ा जब–जब धरती पर आये बारंबार

पाप बढ़ा जब–जब धरती पर आये बारंबार
एक बार फिर इस धरती को है तेरी दरकार
दयानिधि अब तो लो अवतार।।।।!

मुठभेड़

योगी जी की पुलिस रात–दिन गुँडों को
है ठोंक रही,
जिससे डरके ये जमात अब खड़े–खड़े
है पोंक रही,
जो इनको पाले थे पिल्लों की माफ़िक
पलने में रख–
उन डॉबरमैनों की लॉबी भों–भों–भों–भों
भोंक रही,
सुना है जबसे जेल बागपत में लुढ़का
है बजरंगी–
तबसे कॉप रहा अन्दर थर–थर मोटा
मुख़्तार।
दयानिधि अब तो लो अवतार।।।।!

भूख

भूख खा गयी मेरे हिस्से का बचपन बेदर्दी से,
कॉपी–कलम नहीं मिल पायी माँ–बाबू की ग़र्दी से,
देश गरीब नहीं मेरा ना
धन–अनाज–पानी कम है–
ये तो मारा गया माननीयों की
बस मुटमर्दी से,
हम गरीब लोगों के
शिक्षा–औषधि–अनुदानों को खा–
बहुतों ने गढ़ लिए महल जा
करके कंट्रीपार।
दयानिधि अब तो लो अवतार।।।।!

राजेश्वर राय 'दयानिधि'

आज़ादी

चरखा – चरखी–तकली से आज़ाद
नहीं ये देश हुआ,
इस सच्चाई को झुठला सकता है
आखिर कौन मुआ,
सत्तर वर्षों से जिनको हम देते श्रेय
आ रहे हैं–
उन लोगों ने ही भोंका है भारत के दिल में सुआ,
लक्ष्मी–मंगल–शेखर–भगत–सुभाष हुए गर ना होते–
तो ये सत्य – अहिंसी कुछ भी पाते नहीं उखार।
दयानिधि अब तो लो अवतार।।।।!

लोक जागृति (NGO)

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- **वृद्ध आश्रम की स्थापना करना।**
- **लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन।**
- **लोगों में कानूनी जागरुकता फैलाना।**
- **गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना।**
- **अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरुक करना।**
- **लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना।**
- **पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना।**
- **धार्मिक जागरुकता फैलाना।**

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते है तो सम्पर्क करें
95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ।प्र।
मोबाइल : 9810960818 ई मेल : lokjagriti@gmail.com

जो अवसर को समय पर पकड़ ले, वही सफल होता है।

जब आप अकेलापन महसूस करें, इन बातों को आजमाकर देखें

शून्य जो है, ये हिंदुस्तानी आविष्कार है। जब वैज्ञानिक लोग शून्य की परिभाषा को विदेश में ले गए तो वहां के जो धार्मिक लोग थे, वे बड़े गुस्सा हुए कि 'नहीं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शून्य कोई चीज है ही नहीं।' पर क्या आपके महसूस न करने मात्र से यह सिद्ध हो जाता है कि कोई चीज नहीं है? अगर शून्य नहीं होता तो आज कंप्यूटर नहीं होते।

शून्य! उसमें 'सब कुछ' है और 'कुछ भी नहीं' है। कहां है वो 'शून्य'? वह है उस परमात्मा का अनुभव! वह है उस 'शून्य' का अनुभव जो सारी सृष्टि में व्याप्त है। उस सृष्टि में भी है, जिस सृष्टि का मनुष्य को कुछ पता नहीं है। समय के आखिरी छोर तक है और समय से पहले भी है। वह हर जगह है। और हरेक जगह होने के नाते तुम्हारे हृदय में भी है।

तुम्हारा मन सारे दिन तुमको परेशान करता है पर खुद कभी परेशान नहीं होता है। इस संसार के अंदर कोई चीज नहीं है, जो मन को परेशान कर सके पर मन तुमको जरूर परेशान करता है।

चाहे मेरे आस–पास कितना भी दुख हो, उस दुख के होने के बावजूद मेरे अंदर परमानंद है। मैं कितना धनी हूं? कहा है कि इस संसार के अंदर निर्धन कोई नहीं है। सब धनी हैं! सबकी गठरी लाल है। बस, खोलना नहीं जानते हैं– 'इस विधी भयो कंगाल।' क्या हो जाता है मनुष्य के साथ? वह छोटी–छोटी बातों में खो जाता है। ज्ञान खोने के लिए किसी ने नहीं लिया। ज्ञान को पाना, अपने आपको पाना, अपने आपको समझना, अपने अंदर स्थित उस शांति का अनुभव करना, अपने अंदर स्थित उस परमात्मा का अनुभव करना। यह मूल चीज है! कई लोग कहते हैं हम अकेलापन महसूस करते हैं। मैं कहता हूं कि तुमको अकेलापन महसूस करने की क्या जरूरत है? तुम जहां भी जाओ, तुम्हारा परमपिता परमेश्वर, परममित्र तुम्हारे साथ है। तुमको वह कभी छोड़ता ही नहीं है। जिस दिन वह साथ छोड़ देगा, बस सब गया। वह तो आखिरी समय तक तुम्हारे साथ रहेगा! उससे यारी करो। वह जो अनुभव है, चाहे थोड़ी देर ही रहे, परंतु आनंददायक होता है। क्योंकि किसी चीज ने अपने परमात्मा के साथ मिलकर कुछ क्षण बिताए हैं, इस शरीर में रहते हुए अविनाशी का अनुभव किया है। जब मनुष्य अविनाशी का अनुभव करता है तो न कल है न परसों, न ऊपर है न नीचे है, न चिंता है न फिक्र है, न आशा है न निराशा है। सब सम हो जाता है। समय रुक जाता है। वह है असली शांति का अनुभव! तुम्हारे अंदर स्थित जो 'अनुभव' है, अगर तुम उसको समझना चाहते हो तो अंदर की आंखें खोलनी पड़ेंगी, तब तुमको दिखाई देगा। तब तुमको समझ में आएगा कि 'परमानंद' क्या चीज है। तब तुमको समझ में आएगा कि हृदय क्या चीज है।

खरी-खरी

मियां बीवी के बीच झगड़ा करा के वोट मिले तो सभी राजनीति पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है।

बड़ी सफलता चाहिए तो इस बात को याद कर लीजिए

फल तोड़ने पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोजाना की पिटाई, उलाहना, गालियां और प्रताड़ना से आहत बंदरों ने बैठक बुलाई। विमर्श में उनके सयाने नेता ने सुझाव दिया– क्यों न जंगल में खुद की बागवानी की जाए, रोजाना की झिकझिक से मुक्ति मिलेगी। शाम ढलने तक बुआई हो गई। तड़के सुबह फल खाने को आतुर बंदर खेत में पहुंचे।

वहां एक भी पेड़ नहीं था। ठगा महसूस करते बंदरों ने अपने नेता को दुखड़ा सुनाया तो जवाब मिला, 'फल आने में वक्त लगता है, सब्र रखो!' खेती की प्रक्रिया को समझने की कोशिश न करते हुए मूर्ख, क्रोधित बंदरों को इंतजार मंजूर नहीं था। उन्होंने मिट्टी खोद–खोद कर पिछले दिन बोए बीज खा डाले।

महान उपलब्धि तुरंत हासिल नहीं होती। प्रत्येक परिणाम का समय आता है। कबीर ने कहा है– माली भले ही पेड़ को सौ घड़ों से सींचे, फल तो मौसम आने पर लगेगा। बिल गेट्स कहते हैं कि धैर्य ही कामयाबी का राज है। महात्मा गांधी मानते थे कि धैर्य खोने का अर्थ है, लड़ाई हार जाना। मंजिल तभी मिलेगी जब हम इत्मिनान से बगैर रुके चलते रहेंगे, रफ्तार जितनी भी धीमी हो। जो धैर्य रखना सीख गया, वह सब कुछ पा लेगा। ऐसा नहीं कि धैर्यशील, संयमी व्यक्ति के जीवन में अवरोध और तूफान नहीं आते, किंतु इन क्षणों में वह हड़बड़ी नहीं मचाता।

चूंकि वह जानता है कि तूफान चला जाएगा। वह क्षणिक परिस्थिति से डरकर निर्णय नहीं लेता। आक्रोश या भावावेश के क्षण में अधीर होने का मलाल आपको सौ दिनों तक सालता रह सकता है। लुइस कैरल ने कहा है, 'मैंने जब–जब जल्दी की, मैं पीछे होता चला गया।' धैर्य से कार्य न करने वाला उस संतुष्टि से वंचित रहेगा जो शांति से कर्मरत व्यक्ति को सहज प्राप्त होती है। सब्र ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। हड़बड़ाहट में जीते लोग चित्त में जीवनभर उन पहाड़ों को ढोते रहते हैं, जिन्हें फतह किया जाना था। वे निर्धन हैं, जिन्हें धैर्य नहीं। अथक, अनवरत प्रयास और पर्याप्त धैर्य के बूते जब कोई बुलंदियां छूता है तो अन्य व्यक्ति उससे पूछते हैं, यह तुमने कैसे हासिल कर डाला? धैर्ययुक्त जीवनशैली के मायने सदा विचारमग्न रहना नहीं है। आपातकाल में त्वरित कार्रवाई आवश्यक है, जैसे आग लगने पर। दूसरों की भूल–चूक या सायास गलतियों पर उन्हें क्षमा करने या दया बरतने में तत्परता बरती जानी चाहिए, इससे अपना मन निर्मल, स्वस्थ और आनंदित रहेगा।

अवसर उनकी मदद कभी नहीं करता जो अपनी मदद स्वयं नहीं करते।

संविधान संशोधनों की सूची

■ पहला संविधान (संशोधन) अधि. नियम (1951): इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रति. बंध की व्यवस्था की गई। साथ ही, इस संशोधन द्वारा संविधान में नौंवी अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है।

■ दूसरा संविधान (संशोधन) अधिनियम (1952): इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोक सभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया।

■ तीसरा संविधान (संशोधन) अधि. नियम (1954): अंतर्गत सातवीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टी के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है।

■ चौथा संविधान (संशोधन) अधि. नियम (1955): इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में, न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती।

■ पांचवा संविधान (संशोधन) अधिनियम (1955): इस संशोधन में अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधान– मंडलों द्वारा अपने–अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

■ छठा संविधान (संशोधन) अधि. नियम (1956): इस संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है।

■ 7वा संविधान (संशोधन) अधि. नियम (1956): इस संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अगली तीन श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही, इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया।

■ 8वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1959): इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को दस वर्षों अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया।

■ 09वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1960): इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए।

■ 10वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1961): इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया।

■ 11वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1962): इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर, इस सन्दर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती।

■ 12वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1962): इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया।

■ 13वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1962) : इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया।

■ 14वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1963): इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई।

■ 15वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1963): इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से सबंधित प्रावधान बनाए गए।

■ 16वां संविधान (संशोधन) अधि. नियम (1963): इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत 'मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा' जोड़ा गया।

■ 17वां संविधान (संशोधन) अधि. नियम (1964): इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को नौवीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी।

■ 18वां संविधान (संशोधन) अधि. नियम (1966): इसके अंतर्गत पंजाब का भाषीय आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

■ 19वां संविधान (संशोधन) अधि. नियम (1966): इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया

खरी-खरी

प्रशासन सरकारी जमीनों से भूमाफियाओं का कब्जा हटा नहीं सकता। झुग्गियां तोड़ने में देर नहीं लगाते।

'असंभव' एक शब्द है, जो मूर्खो के शब्दकोश में पाया जाता है।

गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया।

■ 20वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1966): इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई।

■ 21वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1967): इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत पंद्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।

■ 22वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1969): इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया।

■ 23वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1969): इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाती एवं अनुस. ूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

■ 24वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1971): इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया की वह संशोधन के किसी भी भाग को, जिसमें भाग तीन के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधन कर सकती है ,साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा संपत्ति दिया जाना बाध्यकारी होगा।

■ 26वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1971): इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपा. धियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया।

■ 27वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1971): इसके अंतर्गत मिजा. ंरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के में स्थापित किया गया।

■ 29वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1972): इसके अंतर्गत केरल भू–सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 तथा केरल भू–सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 को संविधान की नौवीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके।

■ 31वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1973): इसके द्वारा लोक सभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया।

■ 32वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1974): संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्य द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे।

■ 34वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1974): इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित बीस भू सुधार अधि. नियमों को नौवीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया।

■ 35वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1974): इसके अंतर्गत सिक्किम का सरंक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया।

■ 36वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1975): इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का बाइसवां राज्य बनाया गया।

■ 37वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1975): इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राजयपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया।

■ 39वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1975): इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोक सभाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया।

■ 41वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1976): इसके द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष कर दी गई, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई।

■ 42वां संविधान (संशोधन) अधिनियम (1976): इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे।

(क) संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' 'धर्मनिरपेक्ष' एवं 'एकता और अखंडता' आदि शब्द जोड़े गए।

(ख) सभी नीति निर्देशक सिद्धांतो को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई।

(ग) इसके अंतर्गत संविधान में दस मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(क), (भाग–iv d) के अंतर्गत जोड़ा गया।

(घ) इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुख्यत किया गया।

(ङ) सभी विधान सभाओं एवं लोक सभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के स्थिर कर दिया गया।

(च) लोक सभा एवं विधान सभाओं की अवधि को पांच से छह वर्ष कर दिया गया,

(छ) इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया की किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय परिक्षण करेगा। साथ ही, यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर पांच से अधिक न्यायधीशों की बेंच द्वारा दी तिहाई बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या पांच तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए।

(ज) इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या– नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूचि से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया।

(झ) इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

(ट) इसने संसद को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की।

खरी-खरी

देश में कोई बेरोजगार नहीं क्योंकि सभी कोई न कोई काम कर रहे हैं कोई चाय बेच रहा है तो कोई भीख मांग रहा है

असमय किया हुआ कार्य न किया हुआ जैसा ही है।

इन वृक्षों की पूजा करने से संकटों का निवारण होता है

पेड़–पौधे प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। भारतीय संस्कृति में कई वृक्षों की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार वृक्षों की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही कुंडली के दोष भी दूर होते हैं। जानिए, किस वृक्ष के पूजन से कौन से फल की प्राप्ति होती है।शास्त्रों के अनुसार पेड़–पौधों की पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती है।

इसके साथ ही कुंडली के दोष भी दूर होते हैं। नीम के वृक्ष की पूजा करने से परिवार में सुख–शांति बनी रहती है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से विभिन्न समस्याओं से मुक्ति मिलती है और देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और जातक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तुलसी के वृक्ष की पूजा करने से एवं हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जिस घर में नित्य तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उस घर में कभी धन के कमी नहीं होती। ऐसे घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अशोक के वृक्ष की पूजा करने से पारिवारिक जीवन में सुख–समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को रोगा. ं से भी मुक्ति मिलती है और दुख का नाश करता है। अगर कोई विशेष मनोकामना रखते हैं तो भी ये पेड़ आपको फल देता है। इसकी पूजा विशेष फलदायी होती है। लाल चंदन की पूजा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह का दोष हो तो लाल चंदन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये पूजा पूरे विधि–विधान से की जाए तभी फलदायी होती है। लाल चंदन के पेड़ की पूजा करने से जीवन में भी उन्नति के योग बनते हैं। केला के वृक्ष की पूजा करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति सही ना हो या वे पीड़ित हों तो केले के पेड़ की पूजा की जाती है। केले के पेड़ की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और विवाह के योग बनने लगते हैं।बिल्व पत्र वृक्ष के पूजन करने से आपको नौकरी में प्रमोशन दिलवाने के साथ–साथ अकाल मृत्यु से भी रक्षा करता है। बिल्व पत्र भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। शिव पूजा के दौरान इनका प्रयोग अनिवार्य और शुभ माना जाता है।शमी वृक्ष के करने से लंबे समय से चल रहे कोर्ट केस में सफलता मिलती है और शत्रुओं का विनाश होता है।पीपल की पूजा करने का शास्त्रीय विधान बहुत महत्वपूर्ण है।

ऐसा माना जाता है कि पीपल में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि पीपल की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। बरगद का पेड़ अपनी जटाओं की वजह से एक अलग ही स्वरूप में दिखता है, इसकी पूजा करने से महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है और संतान संबंधी बाधाएं भी दूर होती है। हिन्दू धर्म में ये सबसे पवित्र पेड़ माना जाता है। पेड–पौधे हमेशा हमसे बिना मांगे सब कुछ देते आए हैं। ये भगवान के प्रतिरूप या उनके साथ सीधे संबंध रखते हैं। हमें इनका आदर करने के साथ–साथ इनकी रक्षा भी करनी चाहिए।

चाहकर भी बेटे को अर्जुन से महान नहीं बना पाए द्रोणाचार्य

किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना और उसके बाद अभ्यास करना जरूरी होता है। कोई भी विद्या सीख तो ली, लेकिन उसका अभ्यास नहीं किया तो सफलता प्राप्त नहीं होती। रसोई बनाना हो या फिर गाड़ी या हवाई जहाज चलाना, तबला और हारमोनियम बजाना हो या गीत गाना– इन सबमें नियमित अभ्यास करना जरूरी होता है। एक छोटा बच्चा एबीसीडी या हिंदी की बारह खड़ी लिखना, बोलना कब सीखता है? जब सैकड़ों बार अभ्यास करता है। चाहकर भी बेटे को अर्जुन से महान नहीं बना पाए द्रोणाचार्य

महाभारत का एक प्रसंग है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र–शस्त्र की शिक्षा देते थे। उनका बेटा अश्वत्थामा भी शिक्षा ले रहा था। वह चाहते थे कि उनका बेटा अस्त्र–शस्त्र की विद्या में राजकुमारों से आगे रहे। वह राजकुमारों को कुछ समय के लिए बाहर भेज देते और अश्वत्थामा को नई विद्या सिखाते थे। मगर अर्जुन इन सबसे अनजान अपनी साधना में लगे थे। एक रात सब भोजन कर रहे थे कि हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा कि अंधेरे में हाथ हर बार थाली के भोजन पर ही पड़ता था और निवाला भी मुंह के भीतर ही जाता था। उसने सोचा कि ऐसा हमारे अभ्यास के कारण ही होता है। दूसरे दिन से अर्जुन ने रात के अंधेरे में चुपचाप बाण चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया।

एक रात धनुष की टंकार से द्रोणाचार्य की आंखें खुल गईं तो उन्होंने अर्जुन को अभ्यास करते देख लिया। द्रोण समझ गए कि अश्वत्थामा अर्जुन की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। अपने को पीछे छूटता देख एक बार अश्वत्थामा ने अपने पिता से शिकायत की, 'पिताजी, हम से ज्यादा आप अर्जुन को चाहते हैं।' द्रोणाचार्य ने कहा, 'पुत्र, तुम समझते हो कि शिक्षा देने से ही ज्ञान हासिल होता है, कदापि नहीं। गुरु केवल मार्ग दिखाता है। रास्ते पर चलकर ध्य पाने का कार्य शिष्य का होता है।' उन्होंने अर्जुन के अभ्यास का जिक्र करते हुए कहा, 'पुत्र, अर्जुन ने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली है और उसे कोई पछाड़ नहीं सकता। यह सब कुछ अभ्यास का नतीजा है। यदि किसी भी कार्यक्षेत्र में महारत हासिल करनी है तो अभ्यास पर जोर देना चाहिए।'

कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा, 'मन बड़ा चंचल, दृढ़ और बलवान है। इसे वश में कैसे कर सकते हैं?' तब श्रीकृष्ण ने कहा, 'अभ्यासेन तु कौन्तेय।' अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। यदि प्रवाहित नीर रुक जाए तो वह गंदा होने लगता है और निरतंर प्रवाहित रहे तो स्वच्छ रहेगा। इसी प्रकार साधक को साधना मार्ग में निरंतर चलते रहना है, मतलब दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते रहने से परमेश्वर प्राप्ति संभव है।

खरी-खरी

राम जन्म भूमि पर उच्चतम न्यायालय का फैसला मन्दिर के विरुद्ध आया तो मान्य होगा?

तलवार मारे एक बार, अहसान मारे बार–बार।

अगर आप योग करते हैं तो जान लें ये बातें

आसन, प्राणायाम और योग की कुछ अन्य क्रियाएं ही संपूर्ण योग नहीं हैं। योग की शुरुआत मनुष्य की आत्मा से नहीं, बल्कि मन से होती है। इसलिए योग को तीन वर्गों में बांटा गया है– शारीरिक योग, मानसिक योग और आध्यात्मिक योग। शारीरिक योग है हठ योग। उसी तरह मानसिक योग राज योग और आध्यात्मिक योग क्रिया योग है। स्वामी जी हठ योग को जो विस्तार देते हैं, उसी से पता चल जाता है कि आज लोगों को योग के जरिए स्वस्थ बनाने के लिए जो योगासन बताए जाते हैं, वे तात्कालिक लाभ तो दिला सकते हैं, पर उनसे शरीर का पूरी तरह नीरोग होना असंभव है। आज आमतौर पर योग की शुरुआत आसन और प्राणायाम से की जाती है। हठ योग की शुरुआत शुद्धिकरण से होती है और शुद्धिकरण होता है षटकर्म से। यह विधि ही वैज्ञानिक है और मानसिक स्वास्थ की प्राप्ति में सहायक है। षटकर्म में छह प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें नेति, धौति और वस्ती शरीर के विकारों को दूर करते हैं। उनके बाद होते हैं कपालभाती, नौलि और त्राटक। इनके उद्देश्य होते हैं क्रमशः मन की विक्षिप्त अवस्था को दूर करना, मन को शांत करना तथा स्थिर बनाना। हठ योग में आसन का नंबर इसके बाद आता है। प्राणायाम तो तीसरे नंबर पर है। योग का कार्य मनुष्य के जीवन व प्रतिभा का उत्थान करना है। इसलिए योग को केवल एक क्षेत्र में सीमित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करके भले ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा। पर प्रतिभाओं, मन की शांति और मन के विवेक से दूर ही रहना होगा। यदि हम केवल मन पर ही काम करेंगे तो शरीर अनियंत्रित हो जाएगा। इंद्रियां भागती रहेंगी। दादा गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती ने परिभाषित किया था कि आसन और प्राणायाम मनुष्य को कितना और किस अनुपात में करना चाहिए। इस परिभाषा को विकसित किया था हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध पर प्रकाशित अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा था, 'योग वर्तमान युग की अनिवार्य आवश्यकता और आने वाले युग की संस्कृति है।' आज योग हमें एक बहुमूल्य आध्यात्मिक विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है। यद्यपि योग का मुख्य विषय आध्यात्मिक पथ के उच्चतम शिखर पर चढ़ना है, तथापि यौगिक अभ्यासों से उनके आध्यात्मिक उद्देश्यों के अलवा हर किसी को प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जो योग का उपयोग अपनी समस्याओं के निदान के लिए ही करते हैं, वे मेरी दृष्टि में मात्र योगाभ्यासी हैं।

दुख को अपने भीतर दबाए रखने से अच्छा है किसी से कह देना

रहीम कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा मन में ही दबाकर रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग हमारी पीड़ा को सुनकर उसे बांटने की बजाय हमारा उपहास उड़ाते हैं। यही कारण है कि लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन दूसरों पर अपना दुख प्रकट करने का साहस नहीं कर पाते। रहीम ने जब ये दोहा कहा था, तत्कालीन परिस्थितियां अभी की परिस्थितियों से बिलकुल अलग थीं। उस समय लोगों पर अधिक मानसिक दबाव नहीं होते थे, व्यवहारिकता की बजाय नैतिकता अधिक हावी रहती थी। इसके बावजूद लोग एक दूसरे का दुख–दर्द समझते थे और बांटने को तैयार रहते थे। कुछ लोग हो सकते हैं जो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने में प्रसन्नता पाते हैं। लेकिन सच यह भी है कि दूसरों की पीड़ा सुनकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम भी दूसरे लोग ही करते हैं।

यही वास्तविकता और मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब हम अपनी व्यथा किसी के साथ बांटते हैं तो उसे कहने मात्र से हमारी व्यथा की तीव्रता कम हो जाती है। यदि हमारी पीड़ा को कोई ध्यानपूर्वक सुन लेता है तो हमें बहुत सुकून मिलता है। हम अपने जीवन में उन लोगों को सर्वाधिक महत्व देते हैं जो हमारी बातें ध्यान से सुनते हैं और हमें हमारी समस्याओं का समाधान बतलाते हैं। यदि हम कहें कि मित्रता अथवा अन्य संबंधों का आधार यही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब तक हम एक दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते–सुनाते रहते हैं, हमारे संबंध अच्छे बने रहते हैं। जब हम एक दूसरे की समस्याओं अथवा व्यथाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं तो संबंधों की नींव भी दरकने लगती है। हम उन लोगों को कभी पसंद नहीं करते जो हमारी बातें सुनने में रुचि नहीं लेते अथवा हर स्थिति के लिए हमें ही दोषी ठहराने का प्रयास करते रहते हैं।

यदि हम अपनी व्यथाओं अथवा समस्याओं को दूसरों से कहने से परहेज करते हैं तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। यही मानसिक पीड़ा अथवा घुटन शारीरिक व्याधियों के रूप में प्रकट होने लगती है। जब हम मानसिक रूप से उद्विग्न अथवा चिंतित होते हैं तो हमारे शरीर की ग्रंथियां भी उसी अनुपात में हानिकारक रसायनों अथवा हार्मोंस का उत्सर्जन प्रारंभ कर देती हैं। आधुनिक युग की अनेक व्याधियां इसी का दुष्परिणाम हैं। जो लोग जितने अधिक अकेले व चुप रहने वाले होते हैं, वे उतने ही अधिक इन मनोदैहिक व्याधियों का शिकार होते हैं। यदि कोई हमारी व्यथा को सुनता है तो वह हमारा उपचार ही करता है, चाहे बाद में वह अपने मन में या पीठ पीछे हमारा उपहास ही क्यों न उड़ाए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसका व्यथाओं से सामना न होता हो, लेकिन हम एक दूसरे से अपने मन की बात कहकर उनके तात्कालिक दुष्प्रभाव से मुक्ति अवश्य पा सकते हैं।

खरी-खरी

महज सड़कों पर गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है।
हमारे शहर (वैशाली) गाजियाबाद की हवा बदबूदार है।

तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है ।
मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है।

आत्मविश्वास सफलता का प्रथम रहस्य है।

ब्राह्मण

ब्राह्मणों को गाली देना, कोसना, उन्हें कर्मकांडी, पाखंडी, लालची, भ्रष्ट, ढोंगी जैसे विशेषणों के द्वारा अपमानित करना आजकल ट्रेंड में है। कुछ लोग ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ उनसे तलवे चटवाना चाहते हैं, कुछ स्वघोषित तरीके से उनके दामाद बन जाना चाहते हैं, कुछ उन्हें मंदिरों से बाहर कर देना चाहते हैं।। वगैरह–वगैरह।

कुछ कथित रूप से पिछड़े लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से ही वो 'पिछड़े' रह गये, दलितों की अपनी दलीलें हैं, कभी–कभी अन्य जातियों के लोगों के श्रीमुख से भी इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। आमतौर से ये धारणा बनाई जा रही है कि ब्राह्मणों की वजह से समाज पिछड़ा रह गया, लोग अशिक्षित रह गये, समाज जातियों में बंट गया, देश में अंधविश्वासों को बढ़ावा मिला।। वगैरह–वगैरह।

त्रेता युग में क्षत्रियों का शासन था ! महाभारत काल मे यादव क्षत्रियों का शासन था ! उसके बाद दलित । मौर्य और बौद्धो का राज था ! उसके बाद 1200 साल मुसलमान बादशाह (अरबी लुटेरों) का राज था फिर 300 साल अंग्रेज राज था, पिछले 67 वर्षों से अंबेडकर का संविधान राजकाज चला रहा है। लेकिन फिर भी सब पर अत्याचार ब्राहमणों द्वारा किया गया।।।

आज, ऐसे सभी माननीयों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं आपको जवाब दे रहा हूं।।। और याद रहे– ये एक ब्राह्मण का जवाब है।।। इस वैधानिक चेतावनी के साथ कि मैं किसी प्रकार की जातीय श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखता।

लेकिन आप जान लीजिये– वो कौटिल्य जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्य को संकटों से मुक्ति दिलाई, देश में जनहितैषी सरकार की स्थापना कराई, भारत की सीमाओं को ईरान तक पहुंचा दिया और कालजयी ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र' की रचना की (जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ रही है) वो कौटिल्य ब्राह्मण थे।

आदि शंकराचार्य जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास किये, 8वीं सदी में ही पूरे देश का भ्रमण किया, विभिन्न विचारधाराओं वाले तत्कालीन विद्वानों–मनीषियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराया, देश के चार कोनों में चार मठों की स्थापना कर हर हिंदू के लिए चार धाम की यात्रा का विधान किया, जिससे आप इस देश को समझ सकें। वो शंकराचार्य ब्राह्मण थे।

आज कर्नाटक के जिन लिंगायतों को कांग्रेसी हिंदूओं से अलग करना चाहतें हैं, उनके गुरु और लिंगायत के संस्थापक– बसव– भी ब्राह्मण थे।

भारत में सामाजिक–वैचारिक उत्थान, विभिन्न जातियों की समानता, छुआछूत–भेदभाव के खिलाफ समाज को एक करने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद, (जो केवल कबीर के ही नहीं बल्कि संत रैदास के भी गुरु थे) ब्राह्मण थे। आज दिल्ली में जिस भव्य अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करके दलितों समेत सभी जातियों के लोग खुद को धन्य मानते हैं, उस मंदिर की स्थापना करने वाला स्वामीनारायण संप्रदाय है जिसके जनक घनश्याम पांडेय भी ब्राह्मण थे।

वक्त के अलग–अलग कालखंड में हिंदू समाज में व्याप्त हो चुकी बुराईयों को दूर करने के लिए 'आर्य समाज' व 'ब्रह्म समाज' के रूप में जो दो बड़े आंदोलन देश में खड़े हुए, इन दोनों के ही जनक क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती व राजा राममोहन राय (जिन्होंने हमें सती प्रथा से मुक्ति दिलाई) ब्राह्मण थे। भारत में विधवा विवाह की शुरुआत कराने वाले ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी ब्राह्मण थे। इन सभी संतों ने जाति–पांति, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ समाज को जागरुक करने में अपना जीवन खपा दिया– लेकिन समाज नहीं सुधरा।

क्षत्रिय वंश के राजा श्रीराम की महिमा को 'रामचरित मानस' के जरिये घर–घर में पहुंचाने वाले तुलसीदास और ब्रज क्षेत्र में यदुवंशी राजा श्रीकृष्ण की भक्ति की लहर पैदा करने वाले वल्लभाचार्य भी ब्राह्मण थे। ये भी याद रखिये– मंदिरों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जैसा कि आप लोग कहते हैं, फिर भी भारत में भगवान परशुराम (ब्राह्मण) के मंदिर सामान्यतः नहीं मिलते। ये है ब्राह्मणों की भावना।

विदेशी आधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाने संन्यासियों में से अधिकांश लोग ब्राह्मण थे। अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तानने वाले मंगल पांडेय, रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अफसरों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके चंद्रशेखर आजाद, फांसी के फंदे पर झूलने वाले राजगुरु – ये सभी ब्राह्मण थे। वंदेमातरम जैसी कालजयी रचना से पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार पैदा करने वाले बंकिमचंद्र चटर्जी, जन–गण–मन के रचयिता रविंद्र नाथ टैगोर ब्राह्मण, देश के पहले आईएएस (तत्कालीन प्वै) सत्येंद्रनाथ टौगोर भी ब्राह्मण। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपालकृष्ण गोखले (गांधी जी के गुरु), बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालाचारी ब्राह्मण। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण।नेहरु सरकार से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री जिन्होंने पद की बजाय जनहित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कश्मीर के सवाल पर अपने प्राणों की आहुति दी– वो डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ब्राह्मण। बीजेपी के सबसे बड़े सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी– ये सभी ब्राह्मण।

खरी-खरी

बन के इक हादसा बाजार में
आ जाएगा
जो नहीं होगा वो अखबार में
छा जाएगा।

आनंद का मूल है–संतोष।

केरल में बाढ़ का कहर अब तक 357 मौत

केरल में आई बाढ़ में 357 लोगों की मौत हो गई है। सेना, एनडीआरएफ कर्मियों, मछुआरों और स्थानीय लोग अपने घरों की छतों और निर्जन घरों में फंसे हजारों लोगों को बचाने के काम में जुटे हैं।केरल में शनिवार को बाढ़ से 33 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 357 तक पहुंच गई है। बाढ़ पीड़ित 6,80,247 लोग शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। हालांकि, आज बारिश से राहत मिलने की संभावना जताई गई है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने की उम्मीद है। इस बीच केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें तबाही के इस वक्त में केरल की मदद के लिए आगे आई हैं।

हेल्पलाइन नंबर जारी

डीसी कोडागू के लिए +91–9482628409,
सीईओ जेडपी कोडागू के लिए +91–9480869000।
हेलीकॉप्टर हेल्पलाइन– +918281292702,
चंद्रू– +919663725200,
धनजय– +91 9449731238,
महेश– +91 9480731020,
आर्मी– +919446568222।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित केरल को तत्काल 500 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने सभी मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2–2 लाख रुपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50–50 हजार रुपये देने की भी घोषणा की।कई राज्य आए आगे, मदद का ऐलान

केंद्र की मदद के अलावा कई राज्यों ने भी केरल को मदद राशि देने का ऐलान किया है। तेलंगाना ने 25 करोड़, महाराष्ट्र ने 20 करोड़, उत्तर प्रदेश ने 15 करोड़, उत्तराखंड ने 5 करोड़, तमिलनाडू ने 5 करोड़, गुजरात ने 10 करोड़, झारखंड ने 5 करोड़, मध्य प्रदेश ने 10 करोड़, ओडिशा ने 5 करोड़, बिहार ने 10 करोड़, हरियाणा ने 10 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपये की मदद राशि देने का ऐलान किया है।

■ लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने भी केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करने की बात कही है। लिवरपूल के सीईओ पीटर मोरे ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने का वादा किया है। बता दें कि केरल में यूरोपियन फुटबॉल और खास तौर पर लिवरपूल के बड़ी संख्या में समर्थक रहे हैं।

■ सेना, एनडीआरएफ कर्मियों, मछुआरों और स्थानीय लोग अपने घरों की छतों और निर्जन घरों में फंसे हजारों लोगों को बचाने के काम में जुटे हैं।

■ इंडियन कॉमर्शियल पाइलट एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिख कहा है कि एयर इंडिया के एयरबस 320 और बोइंग 787 के पायलटों ने बिना सैलरी के विमान उड़ाने और झ केरल में राहत बचाव कार्य के ऑपरेशन में मदद करने का वादा किया है।

■ तेलंगाना ने 25 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। साथ ही आईटी मंत्री केटी रामा राव ने अपनी एक महीने की सैलरी भी बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने का वादा किया है।

■ उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्रीगण व भाजपा के सभी विधायक भी अपने एक माह का वेतन केरल के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए देंगे।

■ मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन बताया कि शनिवार को कुल 33 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ केरल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 357 तक पहुंच गई है। **(एजेंसी)**

श्रद्धांजलि सभा आयोजित

समाजसेवी संस्था देवबृज जनसेवा संस्थान के संस्थापक व पीसीसी सदस्य दयानंद शुक्ल के पिता गांधीवादी पंडित स्व. देवनारायण शुक्ला का निधन हो गया। देवनारायण शुक्ला अपने जीवन में बहुत ही कर्मठ व जुझारु किस्म के थे। समाज सेवा को ही वह अपना प्रथम धर्म मानते थे। ग्राम नौगवा डीह में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री केएच मुनियप्पा विधायक रामचंद्र यादव आदि गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए।

आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला घोर शत्रु है।

अखिल भारतीय बुद्धिवादी मंच ने मानव संसाधन विकास मंत्री से की मुलाकात

नईदिल्ली। अखिल भारतीय बुद्धिजीवी मंच के सदस्यों ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं उसके संघटक महाविद्यालयों में चल रहे विकास कार्यों से उनको अवगत कराया और कुलपति आचार्य रतन लाल हांगलू द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान कुलपति द्वारा20–30 वर्षों कब्जा किए छात्रावासों को खाली कराकर नए छात्रो को दिलवाना, संघटक महाविद्यालयों में नए शिक्षकों की भर्ती करना आदि कार्य उल्लेखनीय है। प्रतिनिधिमंडल सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में तीन और संसद सदस्य शरद तिवारी, हरिओम पांडे एचएन राजभर और अखिल भारतीय बुद्धिजीवी मंच के सदस्यों में डा। रजनीश पांडेय, डा। राज. श कुमार, अरुणेश तिवारी एवं संतोष कुमार मिश्रा आदि ने मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात की। जावडत्रेकर ने ध्यानपूर्वक प्रतिनिधि मंडल सदस्यों की समस्यों को सुना और निश्चित काई उपाय करने का आश्वासन दिया।

आलस्य दरिद्रता का मूल है।

कविता देवी: भारत की पहली महिला पहलवान

पर्सनालिटी

हरियाणा की कविता देवी रेसलिंग रिंग में अपने प्रतिद्वंदी को केवल पटकती ही नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में उनके और खेल के बीच आने वाली दीवारों को गिराने की कोशिश भी करती हैं।

कविता भारत की पहली महिला पहलवान हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग एंटेरटेनमेंट यानी ॅ की रेसलिंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। शो. हरत अब मिली है लेकिन एक वक़्त था जब उनके और खेल के बीच इतनी दूरी आई कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी खत्म करनी चाही।

34 साल की कविता देवी वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं और अब एक प्रोफ़ेशनल रेसलर हैं। शुरुआत वेटलिफ्टिंग से हुई। सालों तक वेटलिफ्टिंग के साथ जुड़ी रहीं। उसके बाद इनकी शादी हुई और फिर बच्चा। जैसे–जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी खेल और इनके बीच एक दूरी–सी आ गई।

कविता ने बताया, "शादी और बच्चे के बाद मुझे बोला गया था कि मैं खेल छोड़ दूं। ऐसा भी वक़्त आया जब मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच चुनना था। मैंने अपनी जान देने की कोशिश की क्योंकि मेरा खेल का करियर लगभग ख़त्म था। एक तो ये समझा जाता है कि आप शादी के बाद घर संभालो। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। अगर कोई औरत कामयाब होती है तो कभी–कभी उसका पति भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता।"कविता खुद को रिंग से दूर नहीं रख पाईं। आख़िरकार उन्होंने अपने परिवार को मनाया और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद इनकी रूचि रेसलिंग में बढ़ी।

अब एक किसान की बेटी कविता देवी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी ॅ में अंत. रराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली पहली महिला रेसलर बन गई हैं।

रिंग में लड़ाई सूट–सलवार में लड़ी और तस्वीरें वायरल हुईं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। फिलहाल वो 'द ग्रेट खली' की अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं।

महिला खिलाड़ियों की एक लड़ाई रिंग मे होती है तो रिंग के बाहर लोगों से और उनकी सोच से। कविता बताती हैं कि उनके कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि लड़कियों को खेल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन खेल में अगर कामयाब होना है तो फोकस ज़रूरी होता है।कविता ने बताया, "जब मैं उस रिंग में होती हूं तो मैं भूल जाती हूं कि मेरा एक परिवार है या एक बच्चा। तब सिर्फ़ ये खेल होता है और मैं। "

खली भी मानते हैं कि अभी भी लोग महिलाओं को खेल में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, "हमारा समाज ऐसा है कि यहां औरतों पर दबाव बनाया जाता है। अगर कोई लड़की कुछ अलग करना भी चाहे तो काफ़ी मुश्किलें पेश की जाती हैं। घरवाले दिक़्क़तें पैदा करते हैं। मानसिक तौर पर उन्हें हराया जाता है।"लेकिन लड़कियां सारे बंधन तोड़कर रिंग में आ रही हैं। खली की अकादमी में ट्रेनिंग ले रहीं रितिका राज कर्नाटक से जालंधर आईं। अब वो 'द ग्रेट खली' की अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं। रितिका ने बताया ,"मेरी मां ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं ये अपने पिता और भाई के बारे में ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि उन्हें लगता था कि रेसलिंग सिर्फ़ लड़कों के लिए होती है।"इंदोर की दिव्या आले लंदन गईं और वापिस आईं रेसलिंग के खातिर, "मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लड़कों को भी हरा सकती हूं। मैं ताकतवर हूं।"राजस्थान की सन्नी जाट कहती हैं, "लड़कियों से कहा जाता है कि घर में रहो। तो मैंने ये साबित कर दिया कि लड़कियां, लड़कों से कम नहीं हैं।"कविता ने अंत. रराष्ट्रीय स्तर पर भी सूट–सलवार पहनकर रेसलिंग की। कविता ने बताया, "मैंने सूट इसलिए पहना ताकि बाकी लड़कियों को किसी तरह की हिचक ना हो कपड़ों को लेकर। साथ ही मैं अपनी संस्कृति को भी दर्शाना चाहती थी।"ये सब इतना आसान नहीं है कविता के लिए। उन्हें ट्रेनिंग के लिए महीनों अपने परिवार से दूर रहना होता है। पुलिस में काम कर चुकीं कविता अब WWE का ख़िताब जीतना चाहती हैं।

(एजेंसी)

खरी-खरी

जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे।
कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे।

देश नारे लगाने से महान नहीं बन जाता।

EDUCATION SOLUTION

Education Solution

One Door Solution For All Educational Needs

Save Your Years
and Regularise Your Studies with
"NIOS" Board
Home Tuition Assignments Are Also
Provided at Affordable Cost

Complete Your
Syllabus in Summer
Vacation

Now in
Indirapuram
Niti Khand -1

Abacus Classes
Also Available

ACADEMIC COACHING

Ist - VIIIth
MATHS
SCIENCE, ENGLISH
HINDI, S.ST.

IXth - Xth
MATHS
SCIENCE, ENGLISH
HINDI, S.ST.

XIth - XIIth
MATHS,
PHYSICS, CHEMISTRY
BIOLOGY
ENGLISH, ACCOUNTS
ECONOMICS
B.st, C++, I.P.

B.Com, B.A-B.Sc
ACCOUNT, ECONOMICS
MATHS
INCOME TAX
CORP. ACCOUNTING
BUSINESS LAW
COST ACCOUNTING

PROFESSIONAL COACHING

CA-CPT,CS,ICWA
CA-CPT, IPCC
CS (Foundation)
CS (Executive)
CMA (Foundation)
CMA (Inter Mediate)

BBA, MBA
INCOME TAX,
COSTING
FINANCIAL MANAGEMENT
CORPORATE ACCOUNTING
FINANCIAL ACCOUNTING
BUSINESS LAW

B.Tech, MBBS
IIT-JEE, BITSAT
CPMT, UPTECH

Competitive Exam
POLYTECHNIC
BANK ENTRANCE, UPSE
SSC,
SPOKEN ENGLISH, ETC.

HEAD OFFICE : PLOT NO 420 SECTOR 5 VAISHALI GHAZIABAD, BEHIND SHOPRIX MALL

Office : 0120-4130999 | M. : 9911932244, 9999232199, 9999207099, 9999907099

Email: educationsolutionvep@gmail.com | www.educationsolution.co

हाल–ए–वैशाली

गाजियाबाद का वैशाली इलाका कहने में तो यह पॉश इलाका कहलाता है लेकिन इसकी हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जगह–जगह कूड़ा फैला है बदबूदार नाले और इन नालों की टूटी दीवारें जीडीए और यूपी प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैं।

RNI NO.UPHIN/2011/39809

LEGEAZY
INTERNATIONAL
FREEDOM OF LIFE

Legeazy membership is a unique concept which provides consultancy without any hassle, Free of cost and with trusted qualified professionals

* Personal legal assistance
* Commercial & consumer dispute
* Corporate matters Income Tax and service tax mattters.
* Regd. of Company, Service Tax, Trust, society trade mark etc.
* Property documentation, Validation, title investigation and Advise.
* Criminal and civil matters.
* Builders buyers disputes.
* Family disputes and consultancy on marital discords.
* Accounting/Book Keeping.
* Claims and Settlement.

Off. Add:- 3A/95, Vaishali Ghaziabad, U.P. 201010
Mob. No.:-9560522777, 9810960818
Email: info@legeazy.com Website : www.legeazy.com